उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ

(पूर्व नाम उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि०)

दिनांक **31-03-2012** को तुलन पत्र एवं
दिनांक **01-04-2011** से **31-03-2012** तक की अवधि का
लाभ एवं हानि खाता

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन

14-अशोक मार्ग, लखनऊ–**226 001**

निदेशक मण्डल

(दिनाँक 31 मार्च, 2012 को)

अध्यक्ष

श्री नवनीत सहगल आई.ए.एस.

प्रबंध निदेशक

श्री एस॰के॰ अवस्थी आई.ए.एस.

निदेशक गण

श्री एस.के. अग्रवाल, निदेशक (वित्त)
श्री नील रतन कुमार, निदेशक
श्री अशोक कुमार सिंह, निदेशक (पारेषण)
श्री सुनील कुमार सिंह, निदेशक (कार्य एवं योजना)
श्री ओ.पी. जैन, निदेशक (वाणिज्य)

कम्पनी सचिव

सुश्री आभा सेठी टण्डन
(अंशकालिक)

वैधानिक लेखा परीक्षक

मेसर्स आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
4/10, विशाल खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ–226 001

बैंकर्स :

भारतीय स्टेट बैंक
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
इलाहाबाद बैंक
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
आई॰सी॰आई॰सी॰आई॰ बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

पंजीकृत कार्यालय

शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग
लखनऊ–226 001

विषय सूची

क्र॰ सं॰	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या
1.	निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन	1 - 6
2.	तुलन–पत्र	7
3.	लाभ–हानि खाता	8
4.	अनुसूचियाँ (1-20)	9 - 24
5.	महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ (अनुसूची–21अ).....	25 - 26
6.	लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची–21ब).....	27 - 32
7.	रोकड़ प्रवाह विवरण	33 - 34
8.	वैधानिक सम्प्रेक्षक का सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन/अनुलग्नक.....	35 - 41
9.	वैधानिक सम्प्रेक्षा के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर	42 - 52
10.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखों पर टिप्पणियाँ	53 - 54
11.	भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर	55 - 57

निदेशक मण्डल का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

लखनऊ

दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए आपकी कम्पनी के कार्य निष्पादन पर 8 वीं वार्षिक रिपोर्ट के साथ ही साथ सम्प्रेक्षित लेखा विवरणों, सम्प्रेक्षक रिपोर्ट तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए निदेशक मण्डल को प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम :

समीक्षाधीन अवधि में कम्पनी के वित्तीय परिणामों की मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार है :–

(रु. करोड़ में)

विवरण	31–03–2012 को समाप्त वर्ष को	31–03–2011 को समाप्त वर्ष को
आय :		
ऊर्जा के चक्रीय पारेषण से आय	943.81	869.95
अन्य आय	27.49	33.52
योग (अ)	**971.30**	**903.47**
व्यय :		
परिचालन व्यय :–		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	118.80	98.06
कर्मचारी लागत	228.19	277.72
प्रशासन, सामान्य एवं अन्य व्यय	8.72	10.58
योग (ब)	**355.71**	**386.36**
ह्रास, ब्याज एवं प्राविधानों के पूर्व परिचालकीय लाभ/(हानि) स = (अ–ब)	615.59	517.11
ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	240.80	200.78
ह्रास	351.55	326.20
अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	42.10	26.34
योग (द)	**634.45**	**553.32**
पूर्वावधि आय/(व्यय) एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)	(18.86)	(36.21)
जोड़ा–शुद्ध पूर्वावधि आय/(व्यय)	(33.82)	(33.80)
प्रारम्भिक व्यय	–	–
कर के पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	(52.68)	(2.41)
फ्रिन्ज लाभ कर के लिए प्राविधान	–	–
कर के पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि)	(52.68)	(2.41)

निदेशक मण्डल द्वारा कोष में ले जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि, यदि कोई हो :

इस तथ्य के परिपेक्ष में कि समीक्षाधीन वर्ष के अन्त तक कम्पनी में संचित हानियाँ हैं तथा विनियोजन हेतु कोई आधिक्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए किसी कोष में हस्तान्तरण हेतु कोई धनराशि प्रस्तावित नहीं है।

लाभांशः

चूँकि कम्पनी में वर्ष के दौरान वितरण हेतु कोई लाभ नही है, इसलिए निदेशक मण्डल किसी लाभांश की संस्तुति नहीं कर सका।

परिचालन :

उ.प्र. सरकार द्वारा जारी ट्रान्सकों अन्तरण योजना अधिसूचना सं. 2974 (I)/24–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के अनुसार कम्पनी दिनांक 01–04–2007 से ऊर्जा के पारेषण/चक्रीय पारेषण व्यवसाय कर रही है।

भौतिक उपलब्धियाँ :

समीक्षाधीन वर्ष में निम्न पारेषण कार्य पूर्ण किये गये :–

(अ) लाइनें :

(i)	765 के.वी. लाइनें	1.90 सर्किट कि.मी.
(ii)	400 के.वी. लाइनें	शून्य
(iii)	220 के.वी. लाइनें	468.31 सर्किट कि.मी.
(iv)	132 के.वी. लाइनें	507.897 सर्किट कि.मी.

(ब)(i) उप–संस्थान :

वोल्टेज	नये चालू उप–संस्थान		क्षमता वृद्धि	
	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)	उप–संस्थानों की संख्या	क्षमता (एम.वी.ए.)
765 के.वी.	1	1000	0	0
400 के.वी.	0	0	3	310
220 के.वी.	4	840	10	783
132 के.वी.	11	400	58	1396

(ब)(ii) कैपिसिटर्स :

1.	132 के.वी. – 320 एम.वी.ए.आर.
2.	33 के.वी. – 260 एम.वी.ए.आर.

(ब)(iii) बे ऊर्जीकृत :

1.	400 के.वी.	– शून्य
2.	220 के.वी.	– 3 अदद
3.	132 के.वी.	–17 अदद
4.	33 के.वी.	– 90 अदद

कम्पनी के वित्तीय वर्ष के समापन पर जिससे तुलन पत्र सम्बन्धित है एवं प्रतिवेदन की तिथि के मध्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों एवं प्रतिबद्धताएं, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुयी है :

वित्तीय वर्ष के समापन एवं इस प्रतिवेदन के दिनांक के मध्य प्रतिबद्धताओं में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

कम्पनी व्यवसाय की प्रकृति, सहायक कम्पनियों या उनके द्वारा किये जा रहे व्यवसाय की प्रकृति में तथा सामान्यतः व्यवसाय की श्रेणियों, जिनमें कम्पनी का कोई हित लाभ है, में वित्तीय वर्ष के दौरान हुए कोई परिवर्तनों का विवरणः

ऐसे कोई परिवर्तन नहीं हुए।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय :

भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (I) (ई) सपठित कम्पनी (निदेशक मंडल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमावली, 1988 के प्रवधानों के अनुसार ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन एवं विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय सम्बधी सूचना सलंग्नक में दी गयी है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

कर्मचारियों का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2ए) के अभिप्राय से पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग के लिए ऐसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति जिसका पारिश्रमिक प्रति वर्ष रु. 60 लाख (अथवा रु. 5 लाख प्रतिमाह) से अधिक हो, नहीं की गयी।

निदेशक मण्डल :

विचाराधीन वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल का ढांचा निम्नानुसार रहा :–

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्यविधि (वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्त / समाप्ति 31-03-2012 को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	13–09–10	16-03-12
2	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबन्ध निदेशक	30–03–12	कार्यरत
3	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–09	कार्यरत
4	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	19–05–10	06-06-11
5	श्री गणेश सिंह	निदेशक	16–12–08	30-06-11
6	श्री नील रतन कुमार	निदेशक	06–10–10	कार्यरत
7	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक	07–06–11	कार्यरत
8	श्री रवि शंकर पाण्डेय	निदेशक (कर्मिक प्रबंधन)	21–11–11	कार्यरत
9	श्री अशोक कुमार सिंह	निदेशक (पारेषण)	21–11–11	कार्यरत
10	श्री सुनील कुमार गर्ग	निदेशक (कार्य एवं योजना)	21–11–11	कार्यरत
11	श्री ओ.पी. जैन	निदेशक (वाणिज्यिक)	25–11–11	कार्यरत

निदेशक मण्डल, कम्पनी मे अपने सेवाकाल के दौरान निदेशकों द्वारा दी गयी बहुमूल्य सेवाओं के लिए आभार प्रस्तुत करता है।

निदेशकों के उत्तर दायित्व का विवरण :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2एए) की आवश्यकता के अनुरूप यह पुष्टि की जाती है कि :–

(i) वार्षिक लेखे तैयार करने में सिवाय जैसा कि लेखों से सम्बंन्धित टिप्पणियों में स्पष्ट किया गया है, लागू लेखीय मानकों का अनुपालन किया गया है।

(ii) सिवाय उन परिवर्तनों को छोड़कर, जिनका उल्लेख अलग से किया है, निदेशकों ने समुचित लेखीय नीतियों का चयन किया है तथा उन्हें निरन्तर लागू किया है तथा निर्णय एवं अनुमान करते समय इस बात का ध्यान रखा गया है कि वे उचित एवं विवेकपूर्ण हों ताकि दिनांक 31 मार्च, 2012 को वे कम्पनी एवं क्रिया–कलापों की स्थिति तथा कथित अवधि के लाभ एवं हानि की यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शायें।

(iii) कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं धोख–धड़ी तथा अन्य अनियमिततओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु यथेष्ट लेखा–अभिलेखों के रख–रखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती गयी है। अग्रेतर, अंशधारकों को यह सूचित करना है कि विभिन्न कमियाँ जोकि प्रबंधक द्वारा पायी गयीं तथा वे भी जोकि वैधानिक सम्प्रेक्षकों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा इंगित की गयीं, उन्हें आने वाले वर्षों में लेखीकृत कर लिया जायगा।

(iv) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखे संस्था के निरन्तर चलते रहने के आधार पर तैयार किये गये हैं।

सहायक कम्पनियाँ :

इस कम्पनी की कोई सहायक नहीं है।

सम्प्रेक्षा समिति :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 292ए के अनुसार निदेशक मण्डल ने निम्न सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक सम्प्रेक्षा समिति का गठन किया है :–

(i)	उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
(ii)	विशेष सचिव (वित्त) उ.प्र. सरकार एवं उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. अंशकालिक निदेशक	सदस्य
(iii)	महाप्रबन्धक (टी. एण्ड डी.), आर.ई.सी. एवं उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. अंशकालिक निदेशक	सदस्य
(iv)	निदेशक (वित्त) उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.	प्रस्तुत कर्त्ता
(v)	कम्पनी सचिव	समन्वयक

सम्प्रेक्षा समिति ने विधिवत अनुमोदित वार्षिक वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है।

सम्प्रेक्षक :

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स को कम्पनी के वैधानिक सम्प्रेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वैधानिक सम्प्रेक्षकों ने कम्पनी के दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों का सम्प्रेक्षण किया। सम्प्रेक्षकों का प्रतिवेदन एवं उनकी टिप्पणियों पर दिये गये उत्तर इस रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा लेखों की समीक्षा :

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है। टिप्पणियाँ एवं प्रबन्धन के उत्तर भी संलग्न हैं।

औद्योगिक सम्बंध

समीक्षाधीन अवधि में औद्योगिक सम्बंध शांन्तिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण रहे।

आभार :

कम्पनी, विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत संस्थाओं, पी.एफ.सी., आर.ई.सी., बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से निरन्तर प्राप्त हुए सहयोग एवं सहायता के लिए आभार वयक्त करती है।

निदेशक मण्डल वैधानिक सम्प्रेक्षकों मेसर्स आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, विभिन्न शाखा सम्प्रेक्षकों एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय को भी उनके द्वारा दिये गये रचनात्मक सुझावों एवं सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

निदेशक मण्डल कम्पनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा कामगारों द्वारा की गयी सेवाओं के लिए आभार प्रस्तुत करता है।

दिनांक : 20-03-2014
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–1

कम्पनी (निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन में विवरणों का प्रकटन) नियमवली, 1988 के अन्तर्गत प्रकटन :

अ–ऊर्जा संरक्षण : **लागू नहीं**

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि. ऐसी औद्योगिक इकाइयों की सूची से आवरित नहीं होता, जिसके लिए अनुसूची में वांछित सूचना देना अनिवार्य हो)

ब–प्रौद्योगिकी आमेलन :

(अ) अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.)

वर्ष के दौरान आर. एण्ड डी. में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ।

(ब) तकनीकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवीनीकरण :

1. तकनीकी आमेलन, अनुकूलता एवं नवीनीकरण के लिए किये गये प्रयासों का संक्षिप्त सार निम्नानुसार है :–

   उप संस्थानों को स्वचालित करने की प्रणाली (एस.ए.एस.) अनुवर्ती 220 के.वी. एवं 132 के.वी. उप संस्थानों, जिनके लिए अभिकल्प एवं अभियंत्रण को अन्तिम रूप दिया जा चुका था तथा निविदा विनिर्देश प्रपत्र में सम्मिलित किया गया है।

2. **उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाले लाभ :**

   उपर्युक्त प्रणाली से रिमोट मानीटरिंग तथा मानव शक्ति में कमी के साथ–साथ उप–संस्थान के नियंत्रण की सुविधा प्राप्त होगी।

3. **आयातित प्रौद्योगिकी :**

   उच्च वोल्टेज पारेषण लाइनों में पोलीमर इन्सुलेटर्स का उपयोग प्रारम्भ करने से कोहरे की स्थिति के दौरान लाइन ट्रिपिंग में उल्लेखनीय कमी आयी है। यह प्रौद्योगिकी संसार के विकसित देशों में प्रयोग की जा रही है।

(स) विदेशी विनिमय उपार्जन एवं व्यय :

(प) विदेशी विनिमय उर्पाजन : शून्य

(पप) विदेशी मुद्रा व्यय : शून्य

दिनांक :
स्थान : लखनऊ

निदेशक मण्डल के वास्ते एवं उनकी ओर से
कामरान रिजवी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

31 मार्च, 2012 का आर्थिक चिट्ठा

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	अनुसूची सं॰	31.03.2012 को धनराशि	31.03.2011 को धनराशि
i **समता पूँजी एवं दायित्व**			
1 अंशधारियों की निधियां			
(अ) अंश पूंजी	(1)	4335500000	4335500000
(ब) कोष एवं आधिक्य	(2)	(6290665201)	(6272696581)
(स) अंश अधिकार पत्र के सापेक्ष प्राप्त धन		–	–
2 अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित	(3)	40089600000	35999052000
3 गैर–चालू दायित्व :			
(अ) दीर्घावधि उधारी	(4)	43136800585	25170573010
(ब) आस्थगित कर दायित्व (शुद्ध)		–	–
(स) अन्य दीर्घावधि दायित्व	(5)	2653320695	1975863830
(द) दीर्घावधि प्राविधान		–	–
4 चालू दायित्व :			
(अ) अल्पावधि उधारी	(6)	2000000000	–
(ब) व्यापारिक देयताएँ		–	–
(स) अन्य चालू दायित्व	(7)	29439696573	24704114350
(द) अल्पकालीन प्राविधान		–	–
योग		**115364252652**	**85912406609**
ii **परिसम्पत्तियाँ**			
1 गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ			
(i) मूर्त परिसम्पत्तियाँ	(8)	47675565323	44446615524
(ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ		–	–
(iii) प्रगतिशील पूँजीगत कार्य	(9)	40403347483	21283290307
(iv) विकास के अन्तर्गत अमूर्त सम्पत्ति		–	–
(ब) गैर चालू विनियोग		–	–
(स) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (शुद्ध)		–	–
(द) दीर्घकालीन ऋण एवं अग्रिम		–	–
(य) अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ		–	–
2 चालू गैर परिसम्पत्तियाँ			
(अ) चालू विनियोग		–	–
(ब) भण्डार सामग्री	(10)	6418518932	4738745189
(स) व्यापारिक प्राप्य	(11)	15925695302	11324858818
(द) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	(12)	4324422575	3532057245
(य) अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम	(13)	388980443	373756740
(र) अन्य चालू सम्पत्तियाँ	(14)	227722614	213082786
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	24 (अ)		
लेखों पर टिप्पणियाँ	24 (ब)		
टिप्पणी 1 से 24 (ब) जो लेखों का अभिन्न अंग है।			
योग		**115364252652**	**85912406609**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–2013

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट की शर्ताधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
एफ॰आर॰एन॰नं॰ 000932 सी
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार
एम॰नं॰ 071448

31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का विवरण

धनराशि रु॰ में

विवरण	अनुसूची सं॰	31.03.2012 को धनराशि	31.03.2011 को धनराशि
(i) परिचालन से राजस्व (सकल)	(15)	9438141224	8699459374
(ii) अन्य आय	(16)	274934177	355172385
(iii) कुल राजस्व	**(1+11)**	**9713075401**	**9034631759**
व्यय			
(1) उपयोग की गयी सामग्री की लागत		–	–
(2) व्यापार में सामग्री की खरीद		–	–
(3) तैयार माल की सामग्री, प्रगतिशील कार्यो तथा व्यापार में भण्डार में परिवर्तन		–	–
(4) कर्मचारी लाभ व्यय	17	2281908006	2777224274
(5) वित्तीय लागत	18	2407921838	2007806669
(6) ह्रास तथा परिशोधन व्यय	19	3515537063	3261980035
(7) अन्य व्यय :			
(अ) प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय	20	87268990	105799198
(ब) मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	21	1187962527	980585892
(स) अशोध्य ऋण एवं प्राविधान	22	421045040	263424265
(iv) कुल व्यय		**9901643464**	**9396820333**
(v) पूर्वाविधि आय/(व्यय) अपवादात्मक तथा असाधारण मदो एवं कर (III-IV) के पूर्व लाभ/(हानि)		(188568063)	(362188574)
(vi) पूर्वावधि आय/(व्यय)	23	(338256003)	338016553
(vii) अपवादात्मक मदे		–	–
(viii) आसाधारण मदों एवं कर (v-vi-vii) के पूर्व लाभ/(हानि)		(526824066)	(24172021)
(ix) आसाधारण मदें		–	–
(x) कर (viii-ix) के पूर्व लाभ/(हानि)		(526824066)	(24172021)
(xi) कर सम्बधी व्यय :			
(अ) चालू कर		–	–
(ब) आस्थगित कर		–	–
(xii) निरन्तर परिचालन (x-xi) से अवधि के लिए लाभ/(हानि)		(526824066)	(24172021)
(xiii) परिचालन बन्दी से लाभ/(हानि)		–	–
(xiv) परिचालन बन्दी (कर के पश्चात) (xiii-xiv) से लाभ/(हानि)		–	–
(xvi) अवधि (xii-xv) के लिए लाभ/(हानि)		(526824066)	(24172021)
(xvii) प्रतिसमता अंश आय :			
(अ) प्रारम्भिक ई.पी.एस.		(121.51)	(5.58)
(ब) अवमिश्रित ई.पी.एस.		(12.40)	(0.64)
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ	24 अ		
लेखों पर टिप्पणियाँ	24 ब		

टिप्पणी 1 से 24 जोकि लेखा का अभिन्न अंग है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट की शर्ताधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–2013

टिप्पणियां जो वित्तीय विवरणों का भाग है

अनुसूची–1

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
टिप्पणी–1 अंशपूँजी			
अ.	अधिकृत पूँजी :		
	प्रत्येक रु. 1000/–के सममूल्य के समता अंश 100000000 (पूर्व वर्ष में प्रत्येक रु. 1000 के सममूल्य के 100000000 समता अंश)	100000000000	100000000000
2.	निर्गत अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :		
	रोकड़ के लिए प्रत्येक रु. 1000/– के सममूल्य के निर्गत 4335500 समता अंश (पूर्व वर्ष में प्रत्येक रु. 1000 के सममूल्य के 4335500 समता अंश)	4335500000	4335500000
	योग	**4335500000**	**4335500000**

(अ) सूचनीय अवधि के प्रारम्भ मे तथा अन्त में अंशों की सख्या एवं बकाया धनराशि का समाधान :

विवरण	31.03.2012 को अंशों की संख्या	31.03.2012 को धनराशि	31.03.2011 को अंशों की संख्या	31.03.2011 को धनराशि
वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित अंश वर्ष के दौरान निर्गत अंश नवीन निर्गम	4335500	4335500000	4335500	4335500000
वर्ष के अन्त में लम्बित अंश	4335500	4335500000	4335500	4335500000

(ब) समता अंशों से सम्बंद्ध नियम/अधिकार :

(i) कम्पनी में केवल समात अंशों की एक श्रेणी है जिसकी प्रति अंश रु. 10000/- का सममूल्य है।

(ii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने न तो कोई अंश निर्गत किये है और न ही वापस क्रय किये है।

(iii) 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान, भारी संचित हानियों के कारण निदेशक मण्डल द्वारा किसी लाभांश की घोषणा नही की गयी है।

(स) 5 प्रतिशत से अधिक अंशों को रखने वाले प्रत्येक अंशधारक द्वारा धारित अंशों का विवरण :

विवरण	31.03.2012 को अंशों की संख्या	31.03.2012 को धारण %	31.03.2011 को अंशों की संख्या	31.03.2011 को धारण %
उ.प्र. सरकार के माननीय राज्यपाल	4285500	98.85%	4285500	98.85%

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

कोष एवं अधिक्य

अनुसूची–2

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
अ–पूँजीगत कोष				
पूँजीगत कार्यों के लिए उपभोक्ताओं का अंशदान				
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अवशेष	2282435054		2089182807	
जोड़ा–वर्ष के दौरान परिवर्धन	1218920406		304856193	
घटाया–वर्ष के दौरान कमी	131272088		111603946	
अन्तिम अवशेष		3370083372		2282435054
ब–पुनर्संरचना कोष :				
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अवशेष	1807231000		1807231000	
जोड़ा–वर्ष के दौरान परिवर्धन	–		–	
घटाया–वर्ष के दौरान कमी	–		–	
अन्तिम अवशेष		1807231000		1807231000
स–लाभ एवं हानि विवरण में आधिक्य :				
गत वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार अवशेष	(10362362635)		(10338190614)	
जोड़ा–अन्तरण योजना की पूर्व अवधि से सम्बंधित संचित हानि	(578792872)		–	
जोड़ा–लाभ एवं हानि विवरण से हस्तान्तरित	(526824066)		(24172021)	
अन्तिम अवशेष		(11467979573)		(10362362635)
योग		**(6290665201)**		**(6272696581)**

अंश आवेदन धनराशि

अनुसूची–3

(धनराशि रु. में)

विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
अंश आवेदन धनराशि आवंटन हेतु लम्बित	40089600000	35999052000
योग	**40089600000**	**35999052000**

अंश आवेदन धनराशि का समाधान

31.03.2012 को अंश आवेदन धनराशि	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान अवंटित	31.03.2012 को अंश आवेदन धनराशि
35999052000	4090548000	–	40089600000

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

दीर्घावधि उधारी

अनुसूची–4

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
संरक्षित ऋण				
<u>सावधि ऋण</u>				
अन्य से		37636043570		17997188589
(पी.एफ.सी. एवं आर.ई.सी. योजना के अन्तर्गत सृजित सम्पत्तियों पर अनन्य प्रभार द्वारा सरंक्षित)				
असंरक्षित ऋण				
<u>सावधि ऋण</u>				
उ.प्र. सरकार से	997146000		997146000	
अन्य से	7035271923	8032417923	8720059707	9717205707
(उ.प्र. सरकार द्वारा उपर्युक्त सभी ऋण प्रत्याभूतित हैं)				
सरंक्षित एवं असंरक्षित ऋणों का उपयोग		**45668461493**		**27714394296**
घटाया:दीर्घावधि उधारी की चालू परिपक्वता (अनुलग्नक 'अ' सन्दर्भित)		2531660908		2543821286
योग		**43136800585**		**25170573010**

(1) संलग्न अनुलग्नक–'अ' में उधारी की नियमों का विवरण आदि दिया गया है।

(2) संलग्न अनुलग्नक–'ब' में ऋणों के भुगतान में हुयी चूक का विवरण दिया गया है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

जैसाकि अनुसूची–VI में अपेक्षित है उधारी के नियमों आदि का प्रकटनः

धनराशि (रु)

ऋण	प्रतिभूतित एवं गारन्टी विवरण	ब्याजदर	पुनर्भुगतान नियम	31-03-11 को अवशेष (अ)	दीर्घावधि ऋणों के लिए चालू परिपक्वता (वि.वि. 10–11) (ब)	31-03-11 को दीर्घावधि ऋण स–(अ–ब)	वर्ष में प्राप्त ऋण (वि.व. 11–12) (द)	वर्ष में ऋण पुनर्भगतान (वि.व. 11–12) (य)	31-03-12 को अवशेष र–(अ+ब–य)	दीर्घावधि ऋणों की चालू परिपक्वता (वि.व. 11–12) (ल)	31-03-12 को दीर्घावधि ऋण व–(र–ल)
अ. सरंक्षित :											
i. पी.एफ.सी.लि. (बंधक)	पी.एफ.सी. योजना के अन्तर्गत लाइनों एवं उप–संस्थानो के रेहन	8-75% से 13.25%	40 से 60 समान त्रैमासिक किस्तो मे	8632762119	750217320	7882544799	6704695518	750217320	14587240317	935335880	13651904437
ii. पी.एफ.सी.लि. (बी.एल.सी.)	द्वारा सरंक्षित पी.एफ.सी.लि. योजना के अन्तर्गत लाइनों एवं उप–संस्थानों के रेहन द्वारा सरंक्षित	13.75%	40 समान त्रैमासिक किस्तो मे	114126925	65215387	48911538	0	65215387	48911538	48911538	0
iii. आर.ई.सी.लि. (पारेषण)	आर.ई.सी.लि. योजना के अन्तर्गत लाइनों एवं उप–संस्थानों के रेहन द्वारा सरंक्षित	11% से 13%	120 समान मासिक किस्तो मे	9250299545	0	9250299545	13749592171	0	22999891715	201497511	22798394204
			योग (अ)	17997188589	815432707	17181755882	20454287689	815432707	37636043570	1185744929	36450298641
ब. असरंक्षित :											
i. पी.एफ.सी.लि. (सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	8.75% से 13.25%	40 समान त्रैमासिक किस्तो में	4062557937	586540239	3476017698	0	586540239	3476017698	584779168	2891238530
ii. आर.ई.सी.लि. (सरकार द्वारा प्रत्याभूतित)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	10.11% से	180 समान मासिक किस्तो (ई.एम.आई.)	853971650	201853497	652118153	0	201853497	652118153	93270566	558847587
iii.आर.ई.सी.लि. (पारेषण)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	11% से 13%	120 समान मासिक किस्तो में	907629600	90762960	816866640	0	181525920	726103680	90762960	635340720
iv. आर.ई.सी.लि. (उ.प्र.पा.का.लि.)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	11% से 12.50%	120 समान मासिक किस्तो में	2382295520	288763128	2093532392	0	288763128	2093532392	288763128	1804769264
			योग (I+II+III+IV)	8206454707	1167919824	7038534883	0	1258682784	6947771923	1057575822	5890196101
v. उ.प्र. सरकार (उ.प्र.पा.का.लि.)	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	13.5% से 15.25%	10 समान वार्षिक किस्तो में	997146000	134363755	862782245	0	0	997146000	200840157	796305843

			से 30 अर्ध वार्षिक किस्तो में								
			योग (V)	**997146000**	**134363755**	**862782245**	**0**	**0**	**997146000**	**200840157**	**796305843**
vi. नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	**7%**	**6** से **8** समान वार्षिक किस्तो में	**179925000**	**92425000**	**87500000**	**0**	**92425000**	**87500000**	**87500000**	**0**
vii. हुड़को	उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित	**11.25%**	**60** समान मासिक किस्तो में	**333680000**	**333680000**	**0**	**0**	**333680000**	**0**	**0**	**0**
			योग (vi+vii)	**513605000**	**426105000**	**87500000**	**0**	**426105000**	**87500000**	**87500000**	**0**
			योग (ब)	**9717205707**	**1728388579**	**7988817128**	**0**	**1684787784**	**8032417923**	**1345915979**	**6686501944**
			सकल योग (अ+ब)	**27714394296**	**2543821286**	**25170573010**	**20454287689**	**2500220491**	**45668461493**	**2531660908**	**43136800585**

टिप्पणी :—वि. वर्ष 2010-11 में रु. 90762960 का आर.ई.सी को ऋण के पुनर्भुगतान का लेखांकन असंरक्षित ऋणों के ब्याज, सरंक्षित ऋणों के अन्तर्गत किया गया था जिसे वि. वर्ष 2011-12 में अब परिशोधित कर लिया गया है तथा यह तदनुसार वर्ष में प्राप्त ऋण एवं पुनर्भुतान कालम में सम्मिलित है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अनुसूची-4 जैसाकि अनुसूची–VI में अपेक्षित ऋण वापसी में चूकों का प्रकटन :

धनराशि (रु)

ऋण	पुनर्भगतान नियम				31-03-2011 को चूक				31-03-2012 को चूक			
	पुनर्संचना तिथि	किस्ते	पुनर्भुगतान देयता	ब्याज की दर (:)	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक तिथि	ब्याज के लिए चूक की तिथि	मूलधन	ब्याज	मूलधन में चूक तिथि	ब्याज में चूक की तिथि
असंरक्षित :												
(i) उ.प्र. सरकार	2003-04	180 मासिक	2010-11	13-5% से 15.25% तक	–	4592823032	–	2007-08	134363755	4653100960	2011-12	2007-08
योग						4592823032			134363755	4653100960		

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अन्य दीर्घकालीन दायित्व

अनुसूची–5

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
	आर.ई.सी. पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही	2653320695	1975863830
	योग	**2653320695**	**1975863830**

अल्पावधि उधारी

अनुसूची–6

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
	असंरक्षित :		
	मांग पर भुगतान योग्य ऋण :		
	वित्तीय संस्थानो से	2000000000	–
	योग	**2000000000**	**–**

टिप्पणी : पी.एफ.सी. से रु. 2000000000 के सावधि ऋण उ.प्र. सरकार द्वारा प्रत्याभूतित है। ब्याज दर 13% है। यह ऋण प्रत्येक रु. 513600000 की चार समान मासिक किस्तों में पुनर्भुगतान किया गया है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अन्य चालू दायित्व

अनुसूची–7

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
दीर्घकालीन ऋणों की चालू परिपक्वता		2531660908		2543821286
उधारी पर प्रोदभूत एवं देय ब्याज :				
उ.प्र. सरकार	4653100960		4592823032	
आर.ई.सी.	57695183	4710796143	351006083	4943829115
उधारी पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		452647932		301694846
पूँजीगत आपूर्तियों/कार्यो के लिए दायित्व		8276497201		6201833542
परि. एवं अनुरक्षण आपूर्तियों/कार्यो के दायित्वा		526906705		379011269
कर्मचारी सम्बंधी दायित्व		1583284999		1768097127
निक्षेप एवं आपूर्तिकर्त्ताओं एवं अन्य से रोके गये		2531834268		1205307864
विद्युतीकरण कार्यो के लिए जमा		5900877593		5847085600
अन्तर निगमीय अवशेष :				
उ.प्र.पा.का.लि.	573648576		151190925	
केस्को	18469745		17416643	
दक्षिणांचल वि.वि.नि.लि.	46889751		34322066	
मध्यांचल वि.वि.नि.लि.	226691318		92353694	
पश्चिमांचल वि.वि.नि.लि.	11584954		16048404	
पूर्वांचल वि.वि.नि.लि.	38394203	915678547	40295579	351627311
अन्तर इकाई हस्तान्तरण		564622438		181085141
विविध दायित्व		36426149		54424731
व्यय के दायित्व		68485809		47050491
उ.प्र. विद्युत क्षेत्र कर्मचारी ट्रस्ट के लिए दायित्व				
भविष्य निधि दायित्व		615516097		369917362
पेन्शन एवं ग्रेच्युटी दायित्व		651920074		486385886
उ.प्र.पा.का.लि. के सी.पी.एफ. ट्रस्ट				
सी.पी.एफ. दायित्व		72529002		22930071
सरकारी प्राधिकारियों के पास अवशेष				
फ्रिन्ज बेनीफिट कर–प्राविधान	12183959		12183959	
घटाया–अग्रिम कर	12171251	12708	12171251	12708
योग		**29439696573**		**24704114350**

टिप्पणी:–दीर्घकालीन उधारी (अनुलग्नक–अ सन्दर्भित) की चालू परिपक्वता का विवरण, टिप्पणी सं. 4 के साथ संलग्न है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

स्थायी परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–8

(धनराशि रु॰ में)

विवरण	सकल ब्लाक				ह्रास एवं समाशोधन				शुद्ध ले जाया गया मूल्य	
	01.04.2011 को	परिवर्धन	कमी / समायोजन	31.03.2012 को	01.4.2011 को	वर्ष के लिए	कमी / समायोजन	31.03.2012 को	31.03.2012 को अवशेष	31.03.2011 को अवशेष
भूमि एवं भूमि अधिकार										
(i) पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	312072343	4383157	–	316455500	–	–	–	–	316455500	312072343
(ii) पट्टे की भूमि	532054	51764518	–	52296572	–	–	–	–	52296572	532054
भवन	2485002715	298195947	885551	2782313111	844374004	81106845	443662	925037187	1857275924	1640628711
अन्य जानपदीय कार्य	432941825	5788246	–	438730071	165692421	7519411	–	173211832	265518239	267249404
संयंत्र एवं मशीनरी	39286679930	5428398086	686974425	44028103591	13863361389	2006127093	246947539	15622540943	28405562648	25423318541
लाइन, केबिल नेटवर्क आदि	31923910869	1551662180	17973218	33457599831	15483728298	1611399883	8664641	17086463540	16371136291	16440182571
वाहन	35814475	346316	676587	35484204	26353377	3265080	538152	29080305	6403899	94610981
फर्नीचर एवं फिक्चर्स	13618497	832413	6300	14444610	5929894	872231	3564	6798561	7646049	7688603
कार्यालय उपकरण	22775820	3746974	71010	26451784	15046640	1880052	46416	16880276	9571508	7729180
अन्य परिसम्पतियाँ	616155389	83864141	–	700019530	278402370	37918467	–	316320837	383698693	337753019
योग	**75129503917**	**7428981978**	**706587091**	**81851898804**	**30682888393**	**3750089062**	**256643974**	**34176333481**	**47675565323**	**44446615524**
पूर्व वर्ष में	**70857997074**	**4990841822**	**719334979**	**75129503917**	**27576359122**	**3403590269**	**297060998**	**30682888393**	**44446615524**	**43281637952**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव, (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

प्रगतिशील पूँजीगत कार्य

अनुसूची–9

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
प्रगतिशील पूँजीगत कार्य *			16346447078		10400568704
पिछले वर्ष तक राजस्व व्यय पूँजीकरण हेतु लम्बित**		–		536655000	
		908633742		–	
जोड़ा–वर्ष के दौरान परिवर्धन		1891889000		786487000	
घटाया–वर्ष के दौरान पूँजीकरण		584745128	2215777614	414508258	908633742
	उपयोग (अ)		**18562224692**		**11309202446**
आपूतिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम		22657852633		10371090538	
घटाया–पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्धपूर्ण अग्रिमों के लिए प्राविधान		816729862	21841122771	397002677	9974087861
	उपयोग (ब)		**21841122771**		**9974087861**
	सकल योग (अ+ब)		**40403347463**		**21283290307**

टिप्पणियाँ:–*इसमें कार्य से सम्बंधित अधिष्ठापन एवं प्रशासनिक एवं सामान्य लागत शामिल है।
**इसमें कार्य से सम्बंधित केवल उधारी लागत शामिज है।

भण्डार सामग्री

अनुसूची–10

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
भण्डार एवं कलपुर्जे :					
(अ)	भण्डार सामग्री–पूँजीगत कार्य	6243007505		4830879148	
(ब)	भण्डार सामग्री–ओ.एण्ड एम.	446609517		223933064	
(स)	अन्य सामग्री*	134317746		89430849	
			6823934768		5144243061
	उपयोग		**6823934768**		**5144243061**
घटाया–अप्रचलित/निष्प्रयोज्य/भण्डार की कमी/हानि लम्बित जांच में के लिए प्राविधान			405415836		405497872
	योग		**6418518932**		**4738745189**

टिप्पणी–*अन्य सामग्री में निर्माणकर्त्ताओं को निर्गत सामग्री, निष्प्रयोज्य सामग्री, रद्दी सामान, कार्यशाला को मरम्मत हेतु भेजे गये परिवर्तकों, आधिक्य/कमी लम्बित जांच में तथा सामग्री पारगमन में सम्मिलित है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

व्यापारिक प्राप्ति

अनुसूची–11

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
असंरक्षित, शोध्य विचारित :		
(अ) उनकी भुगतान की देयता की तिथि से छः माह से अधिक अवधि से बकाया	11566047933	7666479880
(ब) अन्य ऋण	4359647369	3835950238
उपयोग	**15925695302**	**11502430118**
घटाया–अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान	–	177571300
योग	**15925695302**	**11324858818**

रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य

अनुसूची–12

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण	31.03.2012 को	31.03.2011 को
नकद रोकड़ :		
(अ) नकद रोकड़ (स्टैम्प्स सहित)	550271	578265
(ब) बैंको में अवशेष :		
चालू एवं अन्य खातों में	2297477784	2299091926
सावधि जमा खातों में	2026394520	1232387054
योग	**4324422575**	**3532057245**

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम

अनुसूची–13

धनराशि (रु.)

क्र.सं. विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
असंरक्षित, शोध्य विचारित :				
कर्मचारियो को अग्रिम		2516052		1476119
(वेतन से समायोजन/वसूली योग्य स्रोत पर कर की कटौती		27203692		19749413
आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों को अग्रिम	399178554		391701342	
घटाया–संदिग्ध ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्राविधान	39917855	359260699	39170134	352531208
योग		**388980443**		**373756740**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

अनुसूची–14

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को		31.03.2011 को
असंरक्षित, शोध्य विचारित :					
अन्तर निगमीय अवशेष					
	उ.प्र.रा.वि.नि.लि.	101686569		92937035	
	उ.प्र.ज.वि.उ.नि.लि.	3279804	104966373	2034239	94971274
प्राप्य :					
	कर्मचारियों से	38336285		39124342	
	अन्य से	116359340		109869946	
	योग	154695625		148994288	
	घटाया–संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्राविधान	32263833	122431792	31693699	117300589
	सावधि जमा पर प्रोदभूत ब्याज किन्तु देय नही		237882		718919
	पूर्वदत्त व्यय		86567		92004
	स्थायी परिसम्पत्तियों की चोरी–लम्बित जांच में	1045672		1045672	
	घटाया–अनुमानित हानियों के लिए प्राविधान	1045672		1045672	
	योग		**227722614**		**213082786**

परिचालन से राजस्व

अनुसूची–15

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
सेवाओं की बिक्री :			
	पारेषण प्रभार	8927374053	7977278418
	मुक्त उपगम प्रभार	494468071	708435757
	एस.एल.डी.सी. प्रभार	16299100	13745199
	परिचालन से राजस्व (सकल)	**9438141224**	**8699459374**
	घटाया–उत्पाद शुल्क/सेवा कर की वसूली	–	–
	परिचालन से राजस्व (शुद्ध)	**9438141224**	**8699459374**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

कर्मचारी लागत

अनुसूची–16

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
	आय पर ब्याज :				
	सावधि जमा	32489165		109944511	
	कर्मचारियों को ऋण	74632		133357	
	अन्य	746962	33310759	85823	110163691
	अन्य गैर–परिचालकीय आय :				
	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्त्ताओं से आय		201587515		169953492
	कर्मचारियों से किराया		535061		556348
	विविध प्राप्तियाँ		39182438		54498854
	प्राप्त सहायिकी एवं अनुदान (बाढ़, अग्नि, भूकम्प आदि के कारण हानि के सापेक्ष्य)		318404		–
	योग		**274934177**		**335172385**

कर्मचारी लाभों से सम्बंधित व्यय

अनुसूची–17

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
	वेतन एवं भत्ते	1697584662	1932885375
	मंहगाई भत्ता	945514654	731229369
	बोनस/अनुग्रह	20902240	18621262
	अन्य भत्ते	128197817	132544732
	पेन्शन एवं ग्रेच्युटी	431486752	417801004
	चिकित्सा व्यय (प्रतिपूर्ति)	17518054	25473277
	अवकाश यात्रा सहायता	1401470	1001372
	उपार्जित अवकाश नकदीकरण	223523053	242330905
	क्षतिपूर्ति	574551	258373
	भविष्य निधि एवं अन्य निधियों के लिए अंशदान	42445495	36989535
	ट्रस्ट पर व्यय	2794665	2582857
	कर्मचारी कल्याण व्यय	2697209	2965218
	उप योग	**3514640622**	**3544683279**
	घटायें– पूँजीकृत व्यय	1232732616	767459005
	योग	**2281908006**	**2777224274**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

वित्तीय लागत

अनुसूची–18

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
(अ)	ब्याज व्यय :				
	(i) दीघावधि ऋण				
	उ.प्र. सरकार	145429392		166717258	
	पी.एफ.सी.	1696492475		1374680922	
	हुड़को	18991697		31655638	
	एन.सी.आर.पी.बी.	12092308		18347742	
	आर.ई.सी.	2398747101	4271752973	1163607501	2755009061
	(ii) सामान्य भविष्य निधि		–		83862
(ब)	**अन्य उधारी लागत**				
	गारन्टी प्रभार		27702492		37787247
	बैंक प्रभार		355373		1413499
	उप योग		**4299810838**		**2794293669**
	घटाया : पूंजीकृत व्यय		1891889000		786487000
	योग		**2407921838**		**2007806669**

ह्रास एवं परिशोधन

अनुसूची–19

धनराशि (रु.)

क्र.सं.	विवरण		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
	व्यय :				
	स्थायी परिसम्पत्तियों पर ह्रासः				
	भवन	80299566		72881155	
	अन्य जानपदीय कार्य	7535092		7419457	
	संयत्र एवं मशीनरी	1954853189		1778466429	
	लाइन, केबिल नेटवर्क आदि	1550930668		1470785426	
	वाहन	3223111		3830886	
	फर्नीचर एवं फिक्चर्स	872231		777252	
	कार्यालय उपकरण	2758279		3611444	
	अन्य सम्पत्तियाँ	37918500	3638390636	29164997	3366937046
	घटाया–पूँजीगत कार्यो के लिए उपभोक्ता अंशदान से अर्जित परिसम्पत्तियों पर विभाग द्वारा भारित ह्रास के अनुपात में धनराशि परिशोधित कर दी गयी।		122853573		104957011
	योग		**3515537063**		**3261980035**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

प्रशासनिक, सामान्य एवं अन्य व्यय

अनुसूची–20

(धनराशि रु॰ में)

क्र॰सं॰ विवरण		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
सम्प्रेक्षकों को भुगतान				
(अ) सम्प्रेक्षा शुल्क	666182		666182	
(ब) आउट ऑफ पाकेट व्ययों की प्रतिपूर्ति	586825	1253007	566826	1233008
विज्ञापन व्यय		13360172		12814335
संसूचना प्रभार		18479362		17319726
परामर्शी शुल्क		661094		1328959
विद्युत प्रभार		5186440		4494294
मनोरंजन व्यय		290522		271226
ट्रस्ट पर व्यय		218707		146602
बीमा		260905		2372388
विधिक प्रभार		10927078		13386439
विविध व्यय		43253550		49484407
छपाई एवं लेखन सामग्री		6544193		6294067
दर एवं कर		31130		560425
किराया		1752239		2125920
तकनीकी शुल्क एवं व्यवसायिक प्रभार		6778028		6236749
यात्रा एवं आवागमन व्यय		38453033		28002204
जल प्रभार		27707		22822
उप योग		**147477167**		**146093571**
घटाया : पूंजीकृत व्यय		60440647		40419373
उप योग		**87036520**		**105674198**
क्षतिपूर्ति (कर्मचारियों को छोडकर)		–		125000
अन्य हानियां		232470		–
योग		**87268990**		**105799198**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय

अनुसूची–21

(धनराशि रु॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण		31.03.2012 को समाप्त वर्ष के		31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
संयंत्र एवं मशीनरी					
	भवन		994621426		838037787
	अन्य जानपदीय कार्य		45305747		51512677
	लाइन, केबिल नेटवर्क आदि		86850		20147
	वाहन–व्यय		147528003		90185839
	घटाया–विभिन्न पूँजीगत एवं ओ.एण्ड एम.	40636988		30898487	
	कार्यो को हस्तान्तरित प्रशासनिक व्यय	40636988	–	30898487	–
	फर्नीचर एवं फिक्चर्स		10243		41210
	कार्यालय उपकरण		410258		788232
	योग		**1187962527**		**980585892**

अशोध्य ऋण एवं प्रावधान

अनुसूची–22

(धनराशि रु॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
	संदिग्धपूर्ण अग्रिमों (आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों)	747721	4273820
	संदिग्धपूर्ण अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ (प्राप्य)	570134	1545399
	संदिग्धपूर्ण पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष अग्रिम	419727185	257605046
	योग	**421045040**	**263424265**

शुद्ध पूर्वावधि आय/व्यय

अनुसूची–23

(धनराशि रु॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के
	अ–आय		
	ब्याज से आय	2259625	–
	अन्य आय प्राविधान	(150258)	38122388
	अन्य अधिक प्राविधान	177571300	350847051
	उप योग (अ)	**179680667**	**388969439**
	ब–व्यय		
	परिचालन एवं अनुरक्षण व्यय	52312673	64774
	कर्मचारी लागत	6700400	21869998
	ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	345164556	(730555)
	प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	10479130	(257618)
	ह्रास का कम/अधिक प्राविधान	103279911	30006287
	उप योग (ब)	**517936670**	**50952886**
	शुद्ध धनराशि (अ–ब)	**(338256003)**	**338016553**

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नाम था)
टिप्पणी–24 (अ)
महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ :

1. सामान्य :

(अ) वित्तीय विवरण, कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों के अनुसार तैयार किये गये हैं। परन्तु जहां कहीं कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्राविधानों से विचलन है, इन लेखों को तैयार करने में विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियमावली, 1985 के संगत प्राविधानों को अपनाया गया है।

(ब) लेखे ऐतिहासिक लागत परिपाटी के अनुसार प्रोद्भूत आधार पर तैयार किये गये हैं जब तक अन्यथा इंगित न हो, लेखांकन इस कल्पना पर आधारित है कि संस्था निरन्तर चलती रहेगी।

(स) सहायिकी, अनुदान, बीमा एवं अन्य दावे, सीमा शुल्क की वापसी, आयकर पर ब्याज एवं व्यापार कर का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है। कर्मचारियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज का लेखांकन, पूर्ण मूलधन की वसूली के उपरान्त प्राप्ति के आधार पर किया गया है।

2. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

(अ) स्थायी परिसम्पत्तियाँ, संचयी ह्रास को घटाते हुए ऐतिहासिक लागत पर दर्शायी गयी हैं।

(ब) चालू करने की तिथि तक स्थायी परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति एवं स्थापना से सम्बंधित समस्त लागत पूँजीकृत की गयी है।

(स) पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु प्राप्त उपभोक्ताओं से अंशदान प्रारम्भ में पूँजीगत कोष के रूप में माना जाता है एवं तत्पश्चात सम्बंधित परिसम्पत्तियों पर भारित ह्रास के अनुपात में परिशोधित कर दिया जाता है।

(द) चालू हो चुकी परिसम्पत्तियों के मामले में जहाँ ठेकेदारों के बीजकों का अन्तिम निपटारा होना अभी शेष है, पूँजीकरण इस प्रतिबंध के साथ किया जाता है कि आवश्यक समायोजन अन्तिम निपटारे के वर्ष में कर लिया जायेगा।

(य) कार्यशील इकाइयों की बाहुल्यता के साथ–साथ इकाई विशेष स्तर पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत तथा सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों का पूंजीगत कार्यो पर पूँजीकरण कुल व्यय हुयी धनराशि के आधार पर निम्नानुसार है :

पूँजीगत पारेषण कार्यो के मामले में–

(i) 132 एवं 220 के.वी. उप–सस्थानों एवं लाइनों पर 10% की दर से।

(ii) 400 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 8% की दर से, और।

(iii) 765 के.वी. उप–संस्थानों एवं लाइनों पर 6% की दर से।

निक्षेप कार्यो के मामले में 15% की दर से और अन्य पूँजीगत कार्यो के मामले में 11% की दर से पूँजीकृत है।

(र) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण स्तर की अवधि की उधारी लागत वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्य के औसत अवशेषों के आधार पर विभाजित कर दी जातीहै। विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियमावली, 1985 में दी गयी गणनाविधि के अनुसार पूँजीगत कार्यो पर आरोपणीय उधारी लागत की धनराशि निर्धारित करके पूँजीकृत की जाती है।

3. ह्रास :

(अ) कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIV में निर्दिष्ट दरों पर ह्रास 'सीधी रेखा पद्धति' के आधार पर भारित है।

(ब) वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/कमी पर ह्रास का भारण अनुपातिक आधार पर किया गया है।

(स) स्थायी परिसम्पत्तियाँ, मूल लागत के 95% तक ह्रासित है।

4. भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जे :

(अ) भण्डार एवं कलपुर्जे का मूल्यांकन लागत पर मूल्यांकित हैं।

(ब) रद्दी इस्पात वसूली योग्य मूल्य पर मूल्यांकित है तथा रद्दी इस्पात के अतिरिक्त अन्य रद्दी सामान का लेखों में लेखांकन जैसे और जब बेचा जाता है, के आधार पर किया जाता है।

(स) वर्ष के अन्त तक भण्डार सामग्री में पायी गयी कोई कमी/आधिक्य को ''सामग्री की कमी/आधिक्य–जांच हेतु लम्बित'' के रूप में जांच के निर्णय होने तक दर्शाया जाता है।

5. राजस्व मान्यता

(अ) पारेषण राजस्व लेखों में ऊर्जा अन्तर्राज्यीय पारेषण के लिये मूल्यांकन उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर लिया जाता है। उ.प्र.वि.नि. आयोग द्वारा अनुमोदित पारेषण दर सूची तथा सम्प्रेक्षित लेखों के आधार पर प्रस्तुत ट्रू–अप याचिका में दर्शायी गयी वास्तविक दर सूची में कोई अन्तर है तो उसे ट्रू–अप याचिका पर उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णयानुसार लेखांकित किया जाता है।

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण के मामले में ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम प्रभार से राजस्व की मान्यता तथा लेखांकन एन.आर.एल.डी.सी. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर किया गया है।

6. सभी पूर्वावधि से सम्बन्धित आय एवं व्यय को चालू अवधि में एक विशिष्ट मद के रूप में दर्शाया जाता है।

7. कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक लाभ :

(अ) कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए दायित्व का निर्धारिण बीमांकक मूल्यांकन पर आधारित है तथा लेखांकन प्रोद्भूत आधार पर किया गया है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभों तथा अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है।

8. प्रावधान, आकस्मिक दायित्वों एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियां :

(अ) प्रावधानों का लेखांकन यहां सम्भावित सीमा तक जैसाकि वर्तमान दायित्वों को निपटाने के लिए आवश्यकता हो सकती है, के अनुसार अनुमानित व्ययों के आधार पर किया गया है।

(ब) लेखों पर टिप्पणियाँ में आकस्मिक दायित्वों का प्रकटन किया गया है।

(स) बिना वसूली योग्य आय आकस्मिक सम्पत्तियों को मान्यता नही दी गयी है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट की शर्ताधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–2013

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नाम था)
टिप्पणी–24 (ब)

संलग्न लेखों पर टिप्पणियाँ जो 31 मार्च, 2012 के आर्थिक चिट्ठा तथा उसी तिथि के समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि खाते का अंग है :–

1. (अ) उत्तर प्रदेश सरकार के पत्रांक सं. 293 दिनांक 16–05–2006 के अनुपालन मे जब उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) अस्तित्व में आया। पूर्ववर्ती उ.प्र. विद्युत व्यापार निगम नियम (दिनांक 31.05.2004 को निगमित) के पार्षद सीमा नियम के नाम एवं उद्देश्य सम्बधी प्रस्तर दिनांक 13.07.2006 को परिवर्तित कर दिये गये थे।

   (ब) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजपत्रिक अधिसूचना सं. 2974 (i) 24–पी–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम से उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. (उ.प्र.पा.का.लि.) से उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.)को पारेषण क्रिया–कलापों के हस्तान्तरण के उद्देश्य से अनन्तिम अन्तरण योजना अधिसूचित की गयी, जिसके अन्तर्गत उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के व्यवसाय का क्षेत्र, परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों तथा अन्य प्रासंगिक एवं परिणामों प्रकरणों का उल्लेख था। अनन्तिम अन्तरण योजना की प्रभावी तिथि दिनांक 01–04–2007 परिभाषित थी। इसी तिथि से उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. ने पारेषण व्यवसाय एवं सम्बंधित क्रिया–कलापों का कार्य अलग संस्था के रूप में प्रारम्भ किया। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 39 के अन्तर्गत उ.प्र.पा. ट्रा.का.लि. एवं राज्य पारेषण संस्था है।

   अधिसूचना सं 2974/XXIV–पी–2-2010 दिनांक दिसम्बर 23, 2010 के माध्यम से राज्य सरकार ने कार्मिकों तथा पारेषण उपक्रम से सम्बंधित कार्यवाही के अन्तरण उद्देश्य के लिए अनन्तिम अन्तरण योजना भी अधिसूचित की। इसके लिए अन्तरण योजना अन्तिमीकरण की प्रक्रियाधीन है।

   (स) पुनर्संरचना खाते की धनराशि रु. 180.72 करोड़ (पूर्व वर्ष रु. 180.72 करोड़) वर्ष 2007.08 में कोष एवं आधिक्य शीर्ष के अन्तर्गत दर्शायी गयी थी। यह धनराशि दिनांक 01–04–2007 को इकाईवार अवशेषों तथा अनन्तिम अन्तरण योजना में दर्शाये गये संकलित अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बन्धित है, तथा इसके लिए योजना का अन्तिमीकरण की प्रक्रियाधीन है।

2. अंश आवेदन धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) रु. 4008-96 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 3599.91 करोड़) में रु. 1263.97 करोड़ की अंशपूँजी तथा अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत अन्तरित अंश आवेदन धनराशि रु. 579 करोड़ सम्मिलित है। शेष धनराशि रु. 2165.99 करोड़ समता अंश के रूप में प्राप्त हुयी थी।

3. (अ) विद्युत के पारेषण से राजस्व से सम्बन्धित देनदारों पर अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान नही किया गया है।

   (ब) संदिग्धपूर्ण ऋणों एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान 'ऋण एवं अग्रिमों'/''प्रगतिशील पूँजीगत कार्य' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये गये आपूर्तिकर्त्ताओं/ठेकेदारों के अवशेषों पर 10 प्रतिशत की दर से किया गया है। फिर भी पूँजीगत कार्यो के लिए ठेकेदारों को निर्गत सामग्री की धनराशि के लिए कोई प्राविधान नही किया गया है।

   (स) 'अन्य चालू परिसम्पत्तियों' के शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाये जा रहे 'कर्मचारियों' तथा 'अन्य के विरूद्ध' संदिग्धपूर्ण प्राप्यों के लिए प्राविधान 10 प्रतिशत की दर से किया गया है, सिवाय इटलू वाराणसी में रु. 1.86 करोड़ जहां पूर्व वर्ष में 100 प्रतिशत प्राविधान किया गया है।

4. **अन्तर इकाई लेनदेनः** तुलन पत्र में दर्शाये गये रु. 56.46 करोड़ (क्रेडिट) (पूर्व वर्ष में क्रेडिट अवशेष रु. 18.11 करोड़) के अन्तर इकाई लेनदेनों का अवशेष समाधान की प्रक्रिया में है तथा समाधान के प्रभाव, यदि कोई हुआ आगामी वर्षों के लेखों में लेखीकृत किया जायगा।

5 (अ) जहां हटायी गयी/वापस ली गयी/निष्प्रयोज्य स्थायी परिसम्पत्तियों की ऐतिहासिक लागत उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सम्पत्ति का अनुमानित मूल्य और उसमें से ह्रास समायोजित करके लेखीकृत किया गया है।

(ब) परिसम्पतियों पर ह्रास के लिए प्राविधान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV में निर्दिष्ट दरों पर पर किया गया है। परिसम्पत्तियों में परिवर्धन/कमी पर ह्रास अनुपातिक आधार पर प्रावधानित है।

(स) परिसम्पत्तियों के अधिकारों के हस्तान्तरण (उपर्युक्त अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरित) के लिए निगम (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) के पक्ष में औपचारिकताएँ प्रगति में है।

(द) दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के दौरान इस तथ्य से सम्बंधित प्रकटन कि स्थायी परिसम्पत्तियाँ मूल लागत के 95 प्रतिशत तक ह्रासित की गयी है जिसे बेहतर प्रकटन के उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों के बिन्दु सं. 3 (स) पर जोड़ा गया है जिसका कोई वित्तीय प्रभाव नही है।

6. समग्र आधार पर स्थायी परिसम्पत्तियों के अतिरिक्त सम्पत्तियों का वसूली योग्य मूल्य व्यवसाय की समान्य प्रक्रिया में कम से कम उस धनराशि के समान होती है जिस पर तुलन पत्र में वे दर्शायी गयी है।

7. दिनांक 31–12–2002 को आर.ई.सी. के बकाया देयों को दिनांक 01–01–2003 से 22 वर्षों के लिए पुनर्सूचीकृत किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार दिनांक 31–03–2007 तक की अवधि के लिए रु. 57.88 करोड़ के प्रोद्भूत किन्तु देय नही अर्थात उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के व्यवसाय के प्रारम्भ करने से पूर्व, अनन्तिम अन्तरण योजना के अन्तर्गत उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. को हस्तान्तरित संचित हानियों में जोड़कर लेखांकित है।

8. सूक्ष्म, लघु एवं माध्यम उद्योगों (एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम 2006 के अन्तर्गत) को देश धनराशि सुनिश्चित नही की जा सकी तथा पर्याप्त सम्बंधित सूचना के अभाव में उस पर देय ब्याज के लिए प्राविधान नही किया जा सका। फिर भी कम्पनी इस सम्बंध में पूर्ण सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

9. ऊर्जा के अन्तर्राज्यीय पारेषण से सम्बंधित पारेषण प्रभारों का लेखांकन उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची के आधार पर यथा रु. 0.1260/के॰डब्लू॰एच॰ की दर से किया गया है।

10. एस.एल.डी.सी. के प्रथक कार्य के भाग के रूप में, कम्पनी एस.एल.डी.सी. के लिए अलग खाते का रख–रखाव कर रही है। एस.एल.डी.सी. से सम्बंधित प्रभारों का विवरण टिप्पणी सं. 15 में अलग दर्शाया गया है जोकि निम्नवत है–

धनराशि रु. में

विवरण	**31-03-2012 को समाप्त वर्ष को**	**31-03-2011 को समाप्त वर्ष को**
वार्षिक प्रभार	6300050	4900000
आवेदन शुल्क/सहमति शुल्क	925000	635000
विविध आय	287050	–
एस.एल.डी.सी. प्रभार	8787000	8210199
योग	**16299100**	**13745199**

11. सम्प्रेक्षक का पारिश्रमिक :

विवरण	31-03-2012 को समाप्त वर्ष को	31-03-2011 को समाप्त वर्ष को
वैधानिक सम्प्रेक्षको की रिपोर्ट सम्प्रेक्षा शुल्क के रूप में	666182	666182
आउट ऑफ पाकेट व्ययों की प्रतिपूर्ति	586825	566826
योग	**1253007**	**1233008**

12. विदेशी मुद्रा में आय/व्यय :

विवरण	31-03-2012 को समाप्त वर्ष को	31-03-2011 को समाप्त वर्ष को
(अ) आयात का सी.आई.एफ. मूल्य	शून्य	शून्य
(ब) विदेशी मुद्रा में आय	शून्य	शून्य
(स) विदेशी मुद्रा में कोई व्यय		
यात्रा व्यय (यू.एस.डी.)	–	2475
यात्रा व्यय (आर.एम.बी.)	–	12264
परामर्शी प्रभार (यू.एस.डी.)	404673	–
योग	**404673**	**14739**

13. निदेशकों से प्राप्य ऋण शून्य थे। (पूर्व वर्ष में शून्य)

14. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा अन्य निदेशकों जिनकी उ.प्र.पा.का.लि. में नियुक्ति/तैनाती उ.प्र. सरकार द्वारा की गयी तथा उनके पास कम्पनी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) का अतिरिक्त प्रभार भी है। उन्होंने अपना पारिश्रमिक उ.प्र.पा.का. लि. से अपनी हकदारी के अनुसार आहरित किया है।

15. (अ) बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09–11–2000 (उ.प्र.पा.का.लि. के निदेशक मण्डल द्वारा अंगीकृत) पर आधारित पेन्शन एवं ग्रेच्युटी से सम्बंधित प्रोदभूत दायित्व के लिए प्राविधान मूल वेतन तथा ग्रेड पे एवं मंहगाई भत्ता सहित धनराशि का क्रमशः 16.70 प्रतिशत एवं 2.38 प्रतिशत की दर से किया गया है। कम्पनी ने पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व की मान्यता के लिए नवीन बीमांकक मूल्यांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

(ब) अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा लाभों तथा अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत दावों के आधार पर किया गया है।

16. कर्मचारी लाभ व्यय (टिप्पणी–17) तथा प्रशासनिक सामान्य एवं अन्य व्यय (टिप्पणी–20) में उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. द्वारा डेबिट किये गये सामान्य उभयनिष्ठ व्यय का 25 प्रतिशत रु. 28.25 करोड़ सम्मिलित है।

17. चूँकि कारपोरेशन मुख्य रूप से विद्युत के पारेषण व्यवसाय में कार्यरत है तथा लेखीय मानक–17 के अनुसार कोई सूचनीय भाग नहीं है, इसलिए लेखीय मानक–17 के अनुसार सूचनीय भाग के प्रकटन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एस.एल.डी.सी. के पृथक कार्यो से सम्बंधित क्रिया–कलापों के लेनदेनों को उपर्युक्त प्रस्तर–10 में उल्लेख किया जा चुका है।

18. सम्बंधित पक्ष की सूचना :

भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स की संख्या द्वारा जारी लेखीय मानक–18 के अनुसार कम्पनी की सम्बंधित पक्ष निम्नानुसार हैः–

(अ) सम्बंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधन कर्त्ताओं) की सूची :

(i) मुख्य प्रबंधन कर्त्ताओं और उनके सम्बंधियों :

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कार्याविधि (वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए)	
			नियुक्ति	सेवानिवृत्ति / समाप्ति 31-03-2012 को
1	श्री नवनीत सहगल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	13–09–2010	16–03–2012
2	श्री ए.के. अवस्थी	प्रबन्ध निदेशक	30–03–2012	कार्यरत
3	श्री एस.के. अग्रवाल	निदेशक (वित्त)	09–01–2009	कार्यरत
4	श्री पी.जे. ठक्कर	निदेशक	19–05–2010	06-06-2011
5	श्री गनेश सिंह	निदेशक	16–12–2008	30–06–2011
6	श्री नील रतन कुमार	निदेशक	06–10–2010	कार्यरत
7	श्री एस.के. गुप्ता	निदेशक	07–06–2011	कार्यरत
8	श्री रवि शंकर पाण्डेय	निदेशक (कार्मिक प्रबंधन)	21–11–2011	कार्यरत
9	श्री अशोक कुमार सिंह	निदेशक (पारेषण)	21–11–2011	कार्यरत
10	श्री सुनील कुमार गर्ग	निदेशक (कार्य एवं योजना)	21–11–2011	कार्यरत
11	श्री ओ.पी. जैन	निदेशक (वाणिज्य)	25–11–2011	कार्यरत

(ब) लेनदेन :

विवरण	2011–12 (अ) (i) में सन्दर्भित	2010–11 (अ) (i) में सन्दर्भित
वेतन एवं भत्ते	1025473	शून्य
ग्रेच्युटी / पेन्शन / भविष्य निधि के लिए अंशदान	98300	शून्य
निदेशकों से प्राप्त ऋण	शून्य	शून्य

(स) कम्पनी, राज्य नियंत्रित उद्यमों के सिवाय अन्य उपक्रमों से कोई सम्बंध नही रखती है जिसका लेखीय मानक–18 ''सम्बंधित पक्ष का प्रकटन'' के सन्दर्भ में विवरणों / लेनदेनों का प्रकटन नही किया गया जोकि अन्य सम्बंधित पक्षों जो राज्य नियंत्रित भी हैं, के साथ उनके लेनदेनों से सम्बंधित किसी प्रकटन करने से राज्य नियंत्रित उद्यमों को छूट प्रदान करता है।

19. प्रति अंश मूल एवं घुलित आय लाभ एवं हानि खाते में लेखीय मानक–20 (ई.पी.एस.) के अनुसार दर्शायी गयी है। प्रति अंश / मूल आय, आयकर के पश्चात शुद्ध हानि को वर्ष के दौरान बकाया समता अंशों के भारित औसत संख्या से भाग देकर आगणित की गयी है। प्रति समता अंश घुलित आय के आगणन हेतु प्रयोग की गयी संख्या में समता अंश धनराशि (आवंटन हेतु लम्बित) सम्मिलित है।

धनराशि रु. में

विवरण	31.03.2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) मूल ई.पी.एस.		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ	(526824066)	(24172021)
(अ) समता अंशों की भारित औसत संख्या (ब)	4335500	4335500
प्रति अंश (अ/ब) मूल आय	(121.51)	(5.58)
प्रति अंश अंकित मूल्य	1000	1000
(ii) घुलित ई.पी.एस.		
लाभ एवं हानि खाते के अनुसार कर के पश्चात लाभ	(526824066)	(24172021)
(अ) समता अंशों की भारित औसत संख्या (ब)	42497977	37501219
प्रति अंश (अ/ब) घुलित आय	(12.40)	(0.64)
प्रति अंश अंकित मूल्य	1000	1000

20. आस्थगित कर सम्पत्तियों का लेखांकन विवेकपूर्ण आधार पर लेखों में विचारित नहीं किया गया, क्योंकि रु. 1146.80 करोड़ की असंविलीनित संचित हानियों के कारण निकट भविष्य में उपलब्ध होने वाली आय के सम्बन्ध में विश्वास नही है। इसमें रु. 976.27 करोड़ की संचित हानि की धनराशि सम्मिलित है जोकि अन्तरण योजना के अन्तर्गत उ.प्र.पा.का.लि द्वारा हस्तांतरित की गयी तथा 57.88 करोड़ अग्रेतर इस वर्ष में डेबिट की गई जो अनन्तिम अन्तरण योजना से सम्बंधित है। उपर्युक्त अन्तरण योजना के अन्तर्गत हस्तान्तरण (उ.प्र.पा.का.लि.) से हस्तान्तरी (उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि.) को पारेषण उपक्रम का हस्तांतरण आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(19एए) के अभिप्राय से हस्तान्तरक का अविलीनीकरण होगा।

21. प्रबन्धन के मत में जैसा कि आई.सी.ए.आई. के लेखीय मानक–28 द्वारा उल्लेखित है तुलन पत्र की तिथि को किसी सम्पत्ति के क्षरण का कोई विशेष संकेत नही है। अग्रेतर, कारपोरेशन की परिसम्पत्तियों का लेखांकन उनकी ऐतिहासिक लागत पर किया गया है और अधिकतर परिसम्पत्तियां बहुत पुरानी हैं जहां परिसम्पत्तियों का क्षरण अत्यन्त असम्भाव्य है।

22. वर्ष के दौरान पारेषित/भेजी गयी ऊर्जा 70371.050500 मि.यू. (पूर्व वर्ष में 62268.448189 मि.यू.) थी।

23. **आकस्मिक दायित्वों तथा प्रतिबद्धताएं (प्राविधानित न की गयी सीमा तक) :**

(रु. करोड़ों में)

क्र.सं.	विवरण	31.12.2012 को	31.12.2011 का
(i)	अनुबंधों की अनुमानित धनराशि जो पूँजीगत खातों में सम्पादित किया जाना शेष है और उपलब्ध नही करायी गयी।	1033.44	222.52
(ii)	कम्पनी के विरूद्ध अन्य दावें जो ऋण के रूप में स्वीकृत नही	29.85	26.66
	योग	**1063.29**	**249.18**

24. लेखीय मानक–29 के अनुसार प्रकटन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विवरण	प्राविधानों का प्रवृत्ति			
		01-04-2011 को अवशेष	वर्ष के दौरान किया गया प्राविधान	वर्ष के दौरान प्राविधान / समायोजित	**31-03-2012 को अवशेष**
1	पूँजीगत कार्यो के सापेक्ष संदिग्ध पूर्ण अग्रिमों के लिए प्राविधान	397002677	419727185	–	816729862
2	अप्रचलित / निष्प्रयोज्य / कमी / भण्डार की हानि के लिये प्राविधान	405497872	–	82036	405415836
3	अशोद्ध एवं संदिग्ध ऋणों के लिये प्राविधान	177571300	–	177571300	–
4	संदिग्ध प्राप्यों के लिये प्राविधान	31693699	570134	–	32263833
5	स्थाई परिसम्पत्तियों की चोरी के कारण हानि के लिये प्राविधान	1045672	–	–	1045672
6	ओ. एण्ड एम. कार्यो के सापेक्ष संदिग्धपूर्ण अग्रिमों के लिये प्राविधान	39170134	747721	–	39917855
योग		**1051981354**	**421045040**	**177653336**	**1295373058**

25. वर्ष के वित्तीय विवरणों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI के प्राविधानों जैसाकि भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. 447 (ई) दिनांक 28 फरवरी, 2011 सपठित अधिसूचना सं. (एफ सं. 2/6/2008 सी–एल–V दिनांक 30–03–2011 द्वारा संशोधित है को अपनाते हुए तैयार किये गये है। इस प्रकार संशोधित अनुसूची–VI की आवश्यकता के अनुपालक हेतु वर्ष/प्रारम्भिक अवशेषों के संगत आंकड़ों को जहां आवश्यकत समझा गया पुन श्रेणीकृत/पुनर्व्यवस्थित/पुनर्गणना किया गया है।

26. तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण तथा लेखों पर टिप्पणियाँ में दर्शाये गये आकड़े निकटतम् रूपये में पूर्णांकित किये गये है।

आभा सेठी टण्डन	**उमा कान्त यादव**	**ए.के. गुप्ता**	**एस.के. अग्रवाल**	**कमरान रिजवी**
कम्पनी सचिव अंशकालिक	उपमहाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट की शर्ताधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–2013

उत्तर प्रदेश पावर ट्रांन्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड नाम था)
31-03-2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के लिए
(अ)	**परिचालकीय क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	पूर्वाविधि आय एवं व्यय तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	**(188568063)**	**(362188574)**
	निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ) ह्रास	3750089062	3403590270
	(ब) ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	2407921838	2007806669
	(स) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्राविधान	421045040	263424265
	(द) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणो (ऋण एवं अग्रिम) के लिए अपलेखित प्राविधान वापस लिए गये।	(177571300)	–
	(य) अप्रचलित/निष्प्रयोज्य/भण्डार की कमी/हानि के लिए प्राविधान का समायोजन	(82036)	(126915)
	(र) ब्याज आय	(33310760)	(110163691)
	(ल) पूर्वावधि व्यय (शुद्ध)	(338256003)	338016553
	(व) अन्तरण योजना के पूर्व अवधि से सम्बंधित संचित हानि	(578792872)	–
	कार्यशील पूँजीगत परिवर्तनों के पूर्व परिचालकीय लाभ	5262474906	5540358577
	निम्न के लिए समायोजन –		
	(अ) भन्डार सामग्री में वृद्धि/(कमी)	(1679691708)	(848380072)
	(ब) व्यापारिक देनदारों में वृद्धि/(कमी)	(4423265184)	(5191544083)
	(स) अन्य चालू परिसम्पत्तियों वृद्धि /(कमी)	(15209961)	(48062219)
	(द) अल्पावधि ऋणों एवं अग्रिमों में वृद्धि/(कमी)	(15971425)	(53161840)
	(र) अन्य चालू दायित्वों में वृद्धि/(कमी)	2000000000	–
	परिचालनों से जनित रोकड़	4735582225	10379811639
	करों का भुगतान	5863918853	9779022002
	परिचालकीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह (अ)	**5863918853**	9779022002
(ब)	**विनियोंगी क्रिया कलापों से रोकड़ प्रवाह**		
	(अ) स्थायी परिसम्पत्तियों की वृद्धि/(कमी)	(7428981978)	(4990841822)
	(i) समायोजित/घटायी गयी स्थायी परिसम्पत्तियाँ	706587091	719334979
	(ii) समायोजित/घटाया गया ह्रास कोष	(256643974)	(297060998)
	(ब) प्रगतिशील कार्यो में वृद्धि/(कमी)	(19539784341)	(10158086555)
	(स) प्राप्त ब्याज	33310759	110163691
	विनियोगी क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ प्रयोग (ब)	**(26485512443)**	**(14616490705)**

(स)	**वित्तीय क्रिया कलापों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह**		
	(अ) उधारी से प्राप्तियाँ (शुद्ध)	17966227575	(3046858607)
	(ब) अंश पूंजी से प्राप्तियां	–	–
	(स) अंश आवेदन धनराशि से प्राप्तियां	4090548000	5000000000
	(द) अन्य दीर्घावधि दायित्वों से	677456865	1975863830
	(य) उपभोक्ताओं से अंशदान एवं उ.प्र. सरकार से पूँजीगत सहायिकी से प्राप्तियाँ	1218920406	304856193
	(र) धनराशि परिशोधित	(131272088)	(111603946)
	(ल) ब्याज एवं वित्तीय प्रभारों का भुगतान	(2407921838)	(2007806669)
वित्तीय क्रिया–कलापों से शुद्ध रोकड़ सृजन (स)		**21413958920**	**2114450801**
रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (अ+ब+स)		792365330	(2723017902)
वर्ष के प्रारम्भ में रोकड एवं रोकड समतुल्य		3532057245	6255075147
वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य		4324422575	3532057245
रोकड़ प्रवाह विवरण पर टिप्पणी :			
i.	वर्ष के अन्त में रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य–		
	नकद रोकड़	550271	578265
	बैंकों में अवशेष		
	चालू एवं अन्य खातों में	2297477784	2299091926
	सावधि जमा खाते में	2026394520	1232387054
	योग	**4324422575**	**3532057245**

ii. यह विवरण परोक्ष पद्धति से तैयार किया गया है जैसाकि लेखीय मानक–3 द्वारा निर्दिष्ट है।

iii. तुलनपत्र की टिप्पणी संख्या–8 के अनुसार ह्रास के लिए समायोजन में पूर्वावधि के भारित ह्रास की धनराशि रु. 112576685 (पूर्व वर्ष में रू. 36653222) सम्मिलित है।

iv. रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य के अन्तर्गत नगद रोकड़, बैंकों में चालू एवं अन्य खाते एवं सावधि जमा में बैंक अवशेष समाहित है।

v. इस विवरण में आंकड़ निकटतम रूपये में पूर्णांकित किये गये हैं।

vi. पिछले वर्ष आंकडें जहां कही आवश्यक समझा गया पुनर्वर्गीकृत/पुनर्श्रेणीकृत/पुनर्गणना किये गये है।

vii. पुनरीक्षित अनुसूची–VI के लागू करने के फलस्वरूप प्रारम्भिक अवशेषों को सम्भावित सीमा तक पुनर्वर्गीकृत/पुनर्गणनाकृत है, अतः अन्य चालू दायित्वों एवं उधारी तुलनीय नहीं है।

आभा सेठी टण्डन	डा. उमा कान्त यादव	ए.के. गुप्ता	एस.के. अग्रवाल	कामरान रिजवी
कम्पनी सचिव (अंशकालिक)	उप महाप्रबन्धक (लेखा)	महाप्रबन्धक (लेखा)	निदेशक (वित्त)	प्रबन्ध निदेशक

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट की शर्ताधीन
कृते आर.एम. लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर.पी. तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–2013

आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स

मुख्यालय
410, विशाल खण्ड,
गोमती खण्ड, लखनऊ

दूरभाष–91-0522-4043793,
91-522-2304172
E-mail: rmlalco.com

सम्प्रेक्षको का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण
उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
(पूर्व में उत्तर प्रदेश विद्युत व्यापार निगम लि. नाम था)

1. हमने 31 मार्च, 2012 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते तथा उसके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी का रोकड़ प्रवाह विवरण जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बंधित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा दायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।

2. हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षा मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित है। सम्प्रेक्षा जो परख–जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मलित होती है।ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।

3. जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 जैसाकि समय–समय पर संशोधित है द्वारा अपेक्षित है, हमे कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्नक कर रहे हैं।

4. (अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रित अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (टिप्पणी सं. 24–अ के 1 (स) का सन्दर्भ लें)

(ब) टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार ऊर्जा के अन्तर्राज्य पारेषण के लिए वर्ष की पारेषण राजस्व की मान्यता उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची रु. 0.126/के.डब्लू.एच. के आधार पर दी गई है। जैसाकि उपर्युक्त इंगित है उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण टैरिफ तथा ट्रू–अप याचिका के साथ उ.प्र. वि.नि.आ. एवं अनुमोदित वास्तविक दर सूची के अन्तर का लेखांकन आगामी वर्षो में उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार पर किया जायगा।

(स) चालू परिसम्पत्तियों, चालू ऋणों एवं अग्रिमों, व्यापारिक प्राप्यों, अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ, असंरक्षित ऋणों, चालू तथा गैर चालू दायित्वों (उ.प्र.पा.का.लि., डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भण्डार एवं कलपुर्जे, सामग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास उपलब्ध के अन्तर्गत समस्त अवशेष पुष्टीकरण सत्यापन, समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, की शर्ताधीन है। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की वसूली की सम्भावना अथवा अन्यथा तथा टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर 3 (अ) (ब) एवं (स) के अनुसार किये गये प्रावधानों की पर्याप्तता के सम्बंध में टिप्पणी करने में असमर्थ है।

(द) अन्तर इकाई हस्तान्तरण (''अन्य चालू दायित्वों'' के शीर्ष के अन्तर्गत–टिप्पणी सं. 7 का संदर्भ ले) के रूप में दर्शाये गये रु. 56.46 करोड़ का क्रेडिट अवशेष, अन्तर इकाई लेनदेनों का असमाधानित अवशेष को प्रदर्शित करता है। जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि अन्तर इकाई खाता का समाधान प्रक्रियाधीन है।

(य) सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्योगों को देय बकाया जैसाकि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम की धारा 22 की आवश्यकता के अनुसार प्रकटन नहीं किया है तथा कम्पनी के पास पर्यापत सूचना के अभाव में इन अवशेषो पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नही दी गयी (टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर–8 का सन्दर्भ लें)।

(र) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया लागू नहीं है।

(ल) टिप्पणी संख्या 24–ब के प्रस्तर 23 में इंगित आकस्मिक दायित्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के अनुसार है तथा जिस पर हमारे द्वारा विश्वास किया गया।

(व) नकद रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (टिप्पणी सं.–12) में बैंक में सावधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है, जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नही है और जिसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया। जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित है इस सावधि जमा की जांच पड़ताल प्रक्रिया में है।

(श) भूमि के स्वामित्व/अधिकारा विलेख, भूमि अधिकारों तथा भवनों के सम्बंध में अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नही थे, इसलिए सत्यापन नही किया जा सका।

5. (अ) भण्डार सामग्री लागत पर मूल्यांकित है और न कि न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जैसाकि लेखीय मानक (ले.मा.)–2 'भण्डार मूल्यांकन' द्वारा अपेक्षित है। (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें)

अग्रेतर, पर्याप्त एवं उचित सम्प्रेक्षा साक्ष्य के अभाव में पुराने अप्रचलित एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के लिए किये गये प्रावधान की पर्याप्ता अथवा अन्यथा पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ब) ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से अन्तरराज्यीय पारेषण के सम्बन्ध में राजस्व की मान्यता नकद आधार पर है जो लेखीय मानक (ले.मा.)–9 ''राजस्व मान्यता'' के अनुरूप नही है (टिप्पणी सं.–24 अ की लेखीय नीति 5 (ब) का सन्दर्भ लें)।

(स) स्थाई परिसम्पत्तियों की लागत में कर्मचारियों की लागत तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय सम्मिलित है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 2 (य) का सन्दर्भ लें) यह लेखीय मानक (ले.मा.)–10 ''स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन'' के प्रावधानों के अनुरूप नही है।

(द) अवकाश नकदीकरण का लेखाकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है ना कि बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर (अनुसूची–24–अ की लेखीय नीति सं. 7 (ब) तथा टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर 15 (ब) का सन्दर्भ लें) कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन एवं ग्रेंच्युटी के लिए प्रावधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09–11–2000 के आधार पर किया गया है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर सं. 15 (अ) का सन्दर्भ लें)।

इन कर्मचारी हितलाभों का लेंखाकन लेखीय मानक (ले.मा.) 15 ''कर्मचारी लाभों'' (2005 में संशोधित) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।

(य) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माणकाल के दौरान उधारी लागत वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेष पर विभाजित किया गया है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति से 2 (र) का सन्दर्भ ले)। अग्रेतर ब्याज का भी कुछ सम्पत्तियों पर पूँजीकरण किया गया है जोकि अर्हक प्राप्त परिसम्पत्तियाँ नही हो सकती है। हमारे अभिमत में स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले. मा.)–16 'उधारी लागत' के प्रावधानों के अनुरूप नही है।

(र) टिप्पणी सं 24–ब के प्रस्तर 20 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना को ध्यान में रखते हुए हम लेखीय मानक–22 ''आय पर कर का लेखांकन'' के अनुसार आस्थगित करके लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

(ल) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्रावधान का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नही है अतः हम लेखीय मानक (ले.मा.) 28 ''परिसम्पत्तियों का क्षरण'' के प्रावधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर 21 का सन्दर्भ लें)

6. पूर्ण सूचना के अभाव में इस प्रस्तर 5 एवं 6 तथा इस रिपोर्ट के संलग्नक में हमारी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नहीं है।

7. कम्पनी के वित्तीय, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के सम्प्रेक्षित तलपटों के आधार पर संकलित किये गये है एवं क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा नही बनाया गया था। पर्याप्त सूचना के अभाव में परिसम्पत्तियों, दायित्वों कम्पनी के वित्तीय विवरणों में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय के वर्गीकरण के आधार पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ है तथा हम यह भी टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI की आवश्यकता के अनुरूप है।

8. शाखा सम्प्रेक्षक ने अपना अभिमत स्पष्ट किया है तथा क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के 31 मार्च, 2012 के तलपट पर सम्प्रेक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

9. हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त उचित विवरणों उन शाखाओं जोकि हमारे द्वारा निरीक्षित नही किये गये, से प्राप्त हो गयी है। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी है तथा हमारी रिपोर्ट तैयार करने उन पर हमारे द्वारा उचित विचार किया गया। हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त समुचित विवरणी उन शाखाओं जोकि हमारे द्वारा निरीक्षित नही किये गये, से प्राप्त हो गयी है। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और हमारी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उन पर उचित रूप से विचार किया गया।

10. कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्राविधान कम्पनी पर लागू नहीं है।

11. उपर्युक्त प्रस्तर 4 से 8 तथा प्रस्तर 3 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी हमारी आपत्तियों की शर्ताधीन हम सूचित करते है कि :

(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जोकि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।

(ब) हमारे अभिमत में उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव जैसा कि विधिद्वारा आवश्यक है कम्पनी द्वारा किया गया है जहाँ तक इन पुस्तकों की हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।

(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित, आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।

(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि विवरण खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।

(य) हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं टिप्पणी सं. 24–अ एवं 24–ब में सन्र्दभित टिप्पणियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –

(अ) अर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2012 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।

(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष लाभ एवं हानि विवरण के मामले में हानि की स्थिति एवं

(स) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर॰एम॰ लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर॰पी॰ तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–20 13

(उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक)

ऐसे परीक्षण जैसाकि हमने लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं :–

I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तयों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई सामग्री विसंगति थी अथवा नहीं।
	स	कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।
	द	पारेषण पश्चिम (मेरठ) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो का स्थायी परिसम्पत्तियों से हस्तान्तरण इकाइयों बिना समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये, कर दिया गया है।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरन प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
	स	हमारे अभिमत में पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) को छोड़कर कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। जब कभी भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं, उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यवाही की जाती है।
III	अ	जैसा कि प्रबन्धक द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पक्षों जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किये हैं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं हैं।
	स	कम्पनी ने कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं, से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।
IV	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में आदेश, 2003 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है। हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है,
		जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार सामग्री एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है, सिवाय पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) के। अग्रेतर हेतु आन्तरिक नियंत्रण में मुख्य कर्मियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नही आयी।

		उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियन्त्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नही आयी।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार ऐसा कोई अनुबंध या व्यवस्था नही है जिनकी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।
	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।
VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे अभिमत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण अथवा जमा स्वीकार नहीं किया है।
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मों द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए एक आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति लागू है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए किसी भी क्षेत्र साथ ही साथ मुख्यालय का कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षण नही किया गया।
VIII		कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में नहीं किया गया है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों, यथा कर्मचारी राज्य बीमा आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों को उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है। परन्तु यह पाया गया कि फ्रिन्ज लाभ कर से सम्बंधित रु. 12708,00 की धनराशि तुलन पत्र की तिथि को छः माह से अधिक के लिए अविवादित है।
	ब	जैसाकि प्रबन्धन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि वैट दायित्व से सम्बंधित बकायों धनराशि रु. 3.85 लाख पारेषण मध्य (लखनऊ) में तथा रु. 1.23 लाख पारेषण दक्षिण (आगरा) में विवाद के कारण जमा नही की गयी।
X		कम्पनी 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए पंजीकृत है, इसकी संचित हानियाँ, इसके शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक है और इसकी चालू वित्तीय वर्ष में तथा इस वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व वर्ष में कोई रोकड़ हानियाँ नही की गयी है।
XI		हमें दी गई सूचना या स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने उ.प्र. सरकार के ऋण में मूलधन एवं ब्याज की धनराशि रु. 478.74 करोड़ के पुनर्भुगतान में असफल रही जिसका विवरण टिप्पणी–4 के अनुलग्नक में प्रकट किया गया है।
XII		कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।
XIII		कम्पनी, चिट फण्ड / निधि / पारस्पारिक लाभ निधि / समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।
XIV		कम्पनी, शेयरों, प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों एवं अन्य विनियोगों में व्यापार नही करती है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIV) लागू नहीं है।
XV		जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई जमानत नहीं दी है।

XVI		हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।
XVII		हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि अल्पावधि आधार पर प्राप्त की गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नही किया गया है क्योंकि लेखे इस प्रकार से नही रखे गये है जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बंध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। फिर भी प्रबंधक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे।
XVIII		कम्पनी ने धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को किन्ही अंशों का अधिमान आवंटन नही किया है इसलिए आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।
XIX		कम्पनी ने कोई ऋण पत्र निर्गत नहीं किये हैं इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।
XX		कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।
XXI		हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के अन्तर्गत नहीं की गयी।

इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट के प्रतिबन्धाधीन
कृते आर०एम० लाल एण्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
आर०पी० तिवारी
साझीदार

स्थान : लखनऊ
दिनांक : 31–10–20 13

31 मार्च, 2011 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के लेखों पर वैधानिक सम्प्रेक्षक के प्रतिवेदन पर प्रबंधन के उत्तर।

	सम्प्रेक्षक का प्रतिवेदन	प्रबन्धन का उत्तर
1.	हमने 31 मार्च, 2012 के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के संलग्न तुलन पत्र लाभ एवं हानि खाते तथा उसके साथ सलंग्न इसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष का कम्पनी का रोकड़ प्रवाह विवरण जिसमें चार पारेषण क्षेत्रों के लेखे, जिनका सम्प्रेक्षण सम्बंधित शाखा सम्प्रेक्षकों द्वारा किया गया है, समाविष्ट है का सम्प्रेक्षण किया है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी प्रबंधन उत्तरदायी है। हमारा दायित्व अपने सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना अभिमत व्यक्त करना है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
2.	हमने अपना सम्प्रेक्षण भारत वर्ष में सामान्यतः मान्य सम्प्रेक्षा मानकों के अनुसार किया है। यह मानक अपेक्षा करते हैं कि हम अपने सम्प्रेक्षण की कार्य योजना इस प्रकार बनायें एवं सम्प्रेक्षण का कार्य इस प्रकार करें ताकि हमें उचित रूप से विश्वास हो सके कि वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्या वर्णन से रहित है। सम्प्रेक्षा जो परख–जांच के आधार पर किया जाता है, में इसका भी समावेश होता है कि वित्तीय विवरणों में इंगित की गयी धनराशियों के समर्थित साक्ष्य एवं प्रकट किये गये तथ्यों की जांच सम्मलित होती है।ऐसे सम्प्रेक्षण में प्रयोग में लाये गये लेखीय सिद्धान्तों एवं प्रबंधन द्वारा किये गये महत्वपूर्ण अनुमानों की जांच एवं वित्तीय विवरणों का समग्र प्रस्तुतीकरण भी सम्मिलित है। हम विश्वास करते है कि हमारे द्वारा किया गया सम्प्रेक्षण हमारे अभिमत का उचित आधार प्रस्तुत करता है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
3.	जैसा कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 की उपधारा (4ए) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कम्पनी (सम्प्रेक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2003 जैसाकि समय–समय पर संशोधित है द्वारा अपेक्षित है, हमे कथित आदेश के प्रस्तर 4 एवं 5 में निर्दिष्ट प्रकरणों पर एक विवरण अनुलग्नक में सलंग्नक कर रहे हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
4.	(अ) कोष एवं आधिक्य में वर्ष के अन्त तक पुनर्संरचना खाते के रूप में रु. 180.72 करोड़ का अवशेष सम्मिलित है। यह दिनांक 01.04.2007 को पुस्तकों के अनुसार परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के	उ.प्र. सरकार के स्तर पर अन्तरण योजना के अन्तिमीकरण के उपरान्त आवश्यक समायोजन यदि कोई हो तदनुसार लेखों में किया जाएगा।

	खण्डवार संकलित अवशेषों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी राजपत्रिक अधिसूचना सं. 2974/XXIV–पी–2–2010 दिनांक 23 दिसम्बर, 2010 के माध्यम के अधिसूचित अन्तरण योजना में दर्शाये गये अवशेषों के मध्य अन्तर से सम्बंधित है। कथित अनन्तिम अंतरण योजना का अन्तिमीकरण अभी लम्बित है, जिसके कारण वित्तीय विवरणों में दर्शाये गये परिसम्पत्तियों एवं दायितवों के अवशेषों की स्थिति परिवर्तित हो सकती है (टिप्पणी सं. 24–अ के 1 सा का सन्दर्भ लें)	
	(ब) टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति संख्या–5 के अनुसार ऊर्जा के अन्तर्राज्य पारेषण के लिए वर्ष की पारेषण राजस्व की मान्यता उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित दर सूची रु. 0.126/के.डब्लू.एच. के आधार पर दी गई है। जैसाकि उपर्युक्त इंगित है उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा अनुमोदित पारेषण टैरिफ तथा ट्रू–अप याचिका के साथ उ.प्र.वि.नि.आ. एवं अनुमोदित वास्तविक दर सूची के अन्तर का लेखांकन आगामी वर्षो में उ.प्र.वि.नि.आ. के निर्णय के आधार पर किया जायगा।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(स) चालू परिसम्पत्तियों, चालू ऋणों एवं अग्रिमों, व्यापारिक प्राप्यों, अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ, असंरक्षित ऋणों, चालू तथा गैर चालू दायित्वों (उ.प्र.पा.का.लि., डिस्कामों आदि के अवशेषों को सम्मिलित करते हुए) भण्डार एवं कलपुर्जे, सामग्री पारगमन में/निरीक्षणाधीन/ठेकेदारों/निर्माणकर्त्ताओं आदि के पास उपलब्ध के अन्तर्गत समस्त अवशेष पुष्टीकरण सत्यापन, समाधान तथा परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, की शर्ताधीन है। पर्याप्त सूचना के अभाव में हम इन अवशेषों की वसूली की सम्भावना अथवा अन्यथा तथा टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर 3 (अ) (ब) एवं (स) के अनुसार किये गये प्राविधानों की पर्याप्तता के सम्बंध में टिप्पणी करने में असमर्थ है।	अवशेष समाधान की प्रक्रियाधीन है इस सम्बंधन में आवश्यक निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके है।
	(द) अन्तर इकाई हस्तान्तरण (''अन्य चालू दायित्वों'' के शीर्ष के अन्तर्गत–टिप्पणी सं. 7 का संदर्भ ले) के रूप में दर्शाये गये रु. 56.46 करोड़ का क्रेडिट अवशेष, अन्तर इकाई लेनदेनों का असमाधानित अवशेष को प्रदर्शित करता है। जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि अन्तर इकाई खाता का समाधान प्रक्रियाधीन है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

	(य) सूक्ष्म, लधु एवं मध्यम उद्योगों को देय बकाया जैसाकि एम.एस.एम. ई.डी. अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत परिभाषित है, कम्पनी अधिनियम की धारा 22 की आवश्यकता के अनुसार प्रकटन नही किया है तथा कम्पनी के पास पर्यापत सूचना के अभाव में इन अवशेषो पर देय ब्याज की मान्यता वित्तीय विवरणों में नही दी गयी (टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर–8 का सन्दर्भ लें)।	एस.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 के अनुपालन के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कथित अधिनियम द्वारा नियंत्रित उद्यमों के सापेक्ष्य न तो बिना भुगतान दायित्व, उ.प्र.पा.ट्रा.का.लि. के अधीन इकाइयों द्वारा अब तक सूचित किया गया है और न ही उद्यमों द्वारा बिना भुगतान धनराशि पर किसी ब्याज का दावा प्रस्तुत किया है इसलिए एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 22 अन्तर्गत जैसा अपेक्षित है वार्षिक विवरणों में ब्याज सहित बिना भुगतान विशिष्ट धनराशि उल्लेख किया जाना आवश्यक नही है।
	(र) यह पाया गया कि पक्षवार सहायक लेजरों के रख–रखाव की पद्धति तथा प्राथमिक लेखा पुस्तकों के साथ इनके मिलान की प्रक्रिया लागू नही है।	इस सम्बंध में निर्देश/प्राविधान पहले से लागू है जिनका अनुपालन, सहायक लेजरों यथा कान्ट्रैक्टर लेजर, आपूर्तिकर्त्ताओं लेजर आदि जो प्राथमिक लेखा पुस्तकों जैसे रोकड़ बही, मापन पुस्तिका, भण्डार लेखे आदि के अनुरूप हो, के रख–रखाव हेतु सभी इकाइयों द्वारा किया जाना है। फिर भी, उक्त इकाई जहाँ इस प्रकार की विसंगतियाँ इंगित है, में आवश्क संशोधन/सुधार की उचित कार्यवाही सहित किये गये है।
	(ल) टिप्पणी संख्या 24–ब के प्रस्तर 23 में इंगित आकस्मिक दायत्वों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराये गये विवरणों के अनुसार है तथा जिस पर हमारे द्वारा विश्वास किया गया।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(व) नकद रोकड़ एवं बैंक अवशेषों (टिप्पणी सं.–12) में बैंक में सावधि जमा की धनराशि रु. 80000/– सम्मिलित है, जिसका विवरण कम्पनी के पास उपलब्ध नही है और जिसके लिए कोई प्रावधान नही किया गया। जैसाकि प्रबंधन द्वारा सूचित है इस सावधि जमा की जांच पड़ताल प्रक्रिया में है।	बैंक में सावधि जमा धनराशि रु. 80,000/– के मामले में जांच की जा रही है। जांच के उपरान्त आवश्यक प्राविधान/समायोजन जैसा आवश्यक होगा, सुनिश्चित किया जायगा।
	(श) भूमि के स्वामित्व/अधिकारा विलेख, भूमि अधिकारों तथा भवनों के सम्बंध में अभिलेखीय साक्ष्य अभिलेखों में उपलब्ध नही थे, इसलिए सत्यापन नही किया जा सका।	भूमि के स्वामित्व/अधिकार विलेख, भूमि अधिकारों तथा भवनों के सम्बध में अभिलेखीय साक्ष्य, इकाई स्तर पर सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है जहाँ यह सम्पत्तियाँ प्रयोग में है तथा रख–रखाव किया जाता है। फिर भी उपर्युक्त के सम्बंधन में विपरीत सूचना प्रबंधन के संज्ञान में नही आयी।
5.	(अ) भण्डार सामग्री लागत पर मूल्यांकित है और न कि न्यूनतम लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर जैसाकि लेखीय मानक (ले.मा.)–2 'भण्डार मूल्यांकन' द्वारा अपेक्षित है। (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 4 का सन्दर्भ लें) अग्रेतर, पर्याप्त एवं उचित सम्प्रेक्षा साक्ष्य के अभाव में पुराने अप्रचलित एवं निष्प्रयोज्य भण्डार के लिए किये गये प्राविधान की पर्याप्ता अथवा अन्यथा पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ है।	कारपोरेशन केवल स्थायी परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं अनुरक्षण हेतु भण्डार सामग्री का रख–रखाव करता है। निगम तैयार माल अर्थात ऊर्जा का कोई भडार नही रखता है अतः भण्डार का मूल्यांकन लेखीय मानक–2 के प्राविधान का उल्लंघन नही है। फिर भी इस सम्बंध में विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियमावली, 1985 में निर्दिष्ट प्राविधानों का अनुसरण किया जाता है जोकि ले.मा.–2 में प्रावधानित नियमों के सामंजस्य में है।

	(ब) ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से अन्तर्राज्यीय पारेषण के सम्बन्ध में राजस्व की मान्यता नकद आधार पर है जो लेखीय मानक (ले. मा.)–9 ''राजस्व मान्यता'' के अनुरूप नही है (टिप्पणी सं.–24 अ की लेखीय नीति 5 (ब) का सन्दर्भ लें)।	जैसाकि सम्प्रेक्षा द्वारा इंगित है अन्तर्राज्य पारेषण के मामले में ऊर्जा के पारेषण/मुक्त उपगम से राजस्व क मान्यता नकद आधार पर हमारी नीति सं. 5 (ब) के अनुरूप दी गयी है।
	(स) स्थाई परिसम्पत्तियों की लागत में कर्मचारियों की लागत तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय सम्मिलित है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 2 (य) का सन्दर्भ लें) यह लेखीय मानक (ले.मा.)–10 ''स्थायी परिसम्पत्तियों का लेखांकन'' के प्राविधानों के अनुरूप नही है।	जैसा कि टिप्पणी सं. 24–अ ''महत्वपूर्ण लेखीय नीतियों'' के बिन्दु सं. 2 (य) में सारांक्षित है कि कार्यरत इकाईयों की अधिकता साथ ही साथ इकाई विशेष पर कार्यो की विविधता के कारण कर्मचारी लागत एवं प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों का पूँजीकरण विचारित उचित दरों पर पूँजीगत कार्यो के को आवेटित है जोकि विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियमावली, 1985 मे दिये गये प्राविधानों के अनुरूप है।
	(द) अवकाश नकदीकरण का लेखाकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं अनुमोदित दावों के आधार पर किया गया है ना कि बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर (अनुसूची–24–अ की लेखीय नीति सं. 7 (ब) तथा टिप्प्णी सं. 24–ब के प्रस्तर 15 (ब) का सन्दर्भ लें) कर्मचारियों के सम्बन्ध में पेंशन एवं ग्रेंच्युटी के लिए प्राविधान बीमांकक मूल्यांकन दिनांक 09–11–2000 के आधार पर किया गया है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति सं. 7 (अ) एवं टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर सं. 15 (अ) का सन्दर्भ लें)। इन कर्मचारी हितलाभों का लेंखाकन लेखीय मानक (ले.मा.) 15 ''कर्मचारी लाभो'' (2005 में संशोधित) में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुरूप नही है।	अवकाश नकदीकरण हमारी नीति के अनुसार लेखांकित है सेवानैवृत्तिक लाभों के सम्बनध मे लेखीय नीति सं. (ब) स्पष्ट उल्लेख करता है कि अवकाश नकदीकरण चिकित्सा लाभों तथा अवकाश यात्रा सुविधा का लेखांकन वर्ष के दौरान प्राप्त एवं स्वीकृत दावों के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार पेन्शन एवं ग्रेच्युटी के लिए प्राविधान भी उ.प्र.पा.का.लि. द्वारा कराये गये बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर किया गया है जैसाकि लेखों पर टिप्पणियों के बिन्दु सं. 15 (अ) में प्रकट किया गया है। लेखीय मानक–15 में किये गये प्राविधानों का मुख्य उद्देश्य निगम द्वारा अंगीकृत नीति को पूरा करना है।
	(य) पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माणकाल के दौरान उधारी लागत वर्ष के प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो के औसत अवशेष पर विभाजित किया गया है (टिप्पणी सं. 24–अ की लेखीय नीति से 2 (र) का सन्दर्भ ले)। अग्रेतर ब्याज का भी कुछ सम्पत्तियों पर पूँजीकरण किया गया है जोकि अर्हक प्राप्त परिसम्पत्तियाँ नही हो सकती है। हमारे अभिमत में स्थायी परिसम्पत्तियों पर उधारी लागत के पूँजीकरण की यह पद्धति लेखीय मानक (ले.मा.)–16 'उधारी लागत' के प्राविध ानों के अनुरूप नही है। (र) टिप्पणी सं 24–ब के प्रस्तर 20 के सन्दर्भ में अपूर्ण सूचना को ध्यान में रखते हुए हम लेखीय मानक–22 ''आय पर कर का लेखांकन''	''पूँजीकरण हेतु पात्र उधारी लागत'' से सम्बन्धित ले.मा. 16 का प्रस्तर ''9'' प्राविधानित करता है कि जहां कही किसर उधारी एवं एक अर्हता प्राप्त सम्पत्ति केमध्य सीधे सम्बंध का चिन्हीकरण करना तथा उधारी लागत का निश्चित करना कठिन हो सकता है जोकि अन्यथा बचा जा सकता है। ऐसी कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ जैसे किसी उपक्रम के वित्तीय गतिविधि केन्द्रीय स्तर पर समन्वयित की जाती है या जब ऋण साधनों की श्रेणी का प्रयोग विभिन्न ब्याज दरों पर उधारी निधि लेने में किया जाता है तो ऐसी उधारी एक विशिष्ट अर्हता प्राप्त सम्पत्ति के साथ तत्काल लागत की धनराशि का निर्धारण जो अर्हता प्राप्त परिसम्पत्ति के अर्जन, निर्माण या उत्पादन से सीधे सम्बंधित है अक्सर कठिन होता है और निर्णय लागू करना अनिवार्य होताहै'' उपर्युक्त कथित व्यवस्था के

	के अनुसार आस्थगित करके लेखांकन पर पर्याप्तता या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	परिपेक्ष्य में विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखा) नियमावली, 1985 में दिये गये प्राविधानों को उधारी लगात के पूँजीकरण में अपनाया गया है जो ले.मा.–16 की अनुरूपता में है। इस प्रकार ले.मा.–16 में दिये गये प्राविधान को अनुपालन किया गया है। आस्थगित कर सम्पंत्तियों के लेखांकन पर विवेक के आधार पर लेखों में विचार नहीं किया गया, क्योंकि निकट भविष्य में कम्पनी रु. 1146.80 करोड़ की अविलयत संचयी हानियों के कारण आय की उपलब्धता के सम्बंध में निश्चित नहीं है।
	(ल) परिसम्पत्तियों के क्षरण के सम्बन्ध में प्राविधान का मत सम्बन्धित सूचना द्वारा समर्थित नही है अतः हम लेखीय मानक (ले.मा.) 28 ''परिसम्पत्तियों का क्षरण'' के प्राविधान के अनुपालन पर टिप्पणी करने में असमर्थ है। टिप्पणी सं. 24–ब के प्रस्तर 21 का सन्दर्भ लें)	विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियमावली 1985 के प्रावधानों के नियमों के साथ सलंग्न अनुलग्नक –ण्ण्–मूल लेखीय सिद्धान्तों एवं नीतियों मे निहित प्रावधाना उपबंधित करता है कि ''निगम की स्थायी परिसम्पत्तियाँ लेखा पुस्तकोंमें अभिलेखित तथा वार्षिक लेखों में ऐतिहासिक लागत पर प्रकट की जायगी। इस नीति में यह निहित है कि ''स्थायी परिसम्पत्तियों का उनकी पुनस्थापना लागत, चालू लागत आदि के समायोजन हेतु कोई पुनर्मूल्यांकन नही होगा। इसी प्रकार से पुनस्थापना लागत पर ह्रास भी अनुमान्य नही होगी'' अतः टिप्पणी सं 24–अ अर्थात ''महत्वपूर्ण लेखीय नीतियाँ'' के बिन्दु सं. 1 (अ) के आधार पर उपर्युक्त प्राविधान का अनुपालन किया गया है। फिर भी परिसम्पत्तियों की आगे ले जायी जा रही लागत के निर्धारण हेतु यदि परिसम्पत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है तो विद्युत (आपूर्ति) (वार्षिक लेखे) नियमावली, 1985 के प्रावधानों के उल्लंघन का कारण बन सकती है।
6.	पूर्ण सूचना के अभाव में इस प्रस्तर 5 एवं 6 तथा इस रिपोर्ट के संलग्नक में हमारी आपत्तियों का कम्पनी के लेखों पर संचयी प्रभाव अभिनिश्चित नही है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
7.	कम्पनी के वित्तीय, क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों के सम्प्रेक्षित तलपटों के आधार पर संकलित किये गये है एवं क्षेत्रीय कार्यालय के वित्तीय विवरणों को प्रबंधन द्वारा नही बनाया गया था पर्याप्त सूचना के अभाव में परिसम्पत्तियों, दायित्वों कम्पनी के वित्तीय विवरणों में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के वित्तीय विवरणों में आय एवं व्यय के वर्गीकरण के आधार पर हम टिप्पणी करने में असमर्थ है तथा हम यह भी टिप्पणी करने में असमर्थ है कि क्या यह कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI की आवश्यकता के अनुरूप है।	उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के परिचालन अर्थात विद्युत संस्था के एवं विद्युत पारेषण लाइनों साथ ही साथ विभिन्न डिस्कामों को विद्युत पारेषण के सापेक्ष्य उ.प्र.वि.नि.आ. द्वारा निर्णीत दर पर चक्रीय प्रभारो का लेखांकन मुख्यालय स्तरपर किया जाना है। उनके कार्यक्षेत्र में स्थित इन लाइनों एवं उप–संस्थानों के अनुरक्षण साथ ही साथ जैसे और जब आवश्यक हो पूँजीगत कार्यों के के सम्पादन हेतु सम्पूर्ण राज्य में निगम की इकाइयाँ फैली है। बेहतर प्रशासनिक, वित्तीय एवं पर्यवेक्षीय नियंत्रण तथा प्रशासनिक सुविधा के लिए इस संगठन को पूर्वाचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, दक्षिणांचल नाम से चार परिक्षेत्रों में बांटा गया है तथा वित्त प्रबंध की इकाई मुख्यालय पर है। इकाई स्तर पर वित्तिय लेनदेनों का लेखांकन किया जाता है, उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव होता

		है और मासिक तलपट तैयार किये जाते है तथा सम्बंधित परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत किये जाते है। इकाइयों के तलपटों को परिक्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर समेकित/संकलित/विलीनीकृत/सम्मिलित किये जाते है और उसके बाद कम्पनी के वित्तीय विवरणों के लिए अन्तिम तलपट तैयार करने हेतु विधिवत सम्प्रेक्षित परिक्षेत्रीय तलपटों को अन्तिम रूप से वित्त प्रबंध इकाई को सम्मिलित करते हुए मुख्यालय स्तर पर संकलित किये जाते है। उपर्युक्त के सन्दर्भ में क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के स्तर पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–VI की आवश्यकता के अनुपालन में वित्तीय विवरणों को तैयार करने की आवश्यकता नही है।
8.	शाखा सम्प्रेक्षक ने अपना अभिमत स्पष्ट किया है तथा क्षेत्रीय लेखा कार्यालय के 31 मार्च, 2012 के तलपट पर सम्प्रेक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
9.	हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से पर्याप्त उचित विवरणों उन शाखाओं जोकि हमारे द्वारा निरीक्षित नहीं किये गये, से प्राप्त हो गयी है। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी है तथा हमारी रिपोर्ट तैयार करने उन पर हमारे द्वारा उचित विचार किया गया। हमारे अभिमत में हमारे सम्प्रेक्षण के उद्देश्यसे पर्याप्त समुचित विवरणी उन शाखाओं जोकि हमारे द्वारा निरीक्षित निरीक्षित नही किये गये, से प्राप्त हो गयी है। शाखा सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट हमें अग्रसारित की गयी और हमारी रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उन पर उचित रूप से विचार किया गया।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
10.	कम्पनी क्रिया–कलापों के विभाग के परिपत्र सं. 8/2002 के सन्दर्भ में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 (1) (जी) के अनुसार निदेशकों की अयोग्यता के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
11.	उपर्युक्त प्रस्तर 4 से 8 तथा प्रस्तर 3 में सन्दर्भित अनुलग्नक में दी गयी हमारी आपत्तियों की शर्ताधीन हम सूचित करते है कि :	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(अ) हमने अपने सम्प्रेक्षण के उद्देश्य से सिवाय उनके जो ऊपर इंगित हैं, सभी सूचनाएं तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जोकि हमारी पूर्ण जानकारी एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(ब) हमारे अभिमत में उचित लेखा पुस्तकों का रख–रखाव जैसा कि विधिद्वारा आवश्यक है कम्पनी द्वारा किया गया है जहाँ तक इन पुस्तकों की हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

	(स) इस रिपोर्ट द्वारा विचारित, आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण, लेखा पुस्तकों तथा क्षेत्रों से प्राप्त सम्प्रेक्षित विवरणों से मेल खाते हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(द) हमारे अभिमत में इस रिपोर्ट द्वारा विचारित आर्थिक चिट्ठा, लाभ एवं हानि विवरण खाता तथा रोकड़ प्रवाह विवरण कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 211 (3सी) में संदर्भित लेखीय मानक का अनुपालन करते हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(य) हमारे अभिमत में तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार कथित लेखे सपठित लेखीय नीतियां एवं टिप्पणी सं. 24–अ एवं 24–ब में सन्र्दभित टिप्पणियाँ कम्पनी अधि ानियम, 1956 द्वारा अपेक्षित सूचना अपेक्षित तरीके से देते हैं तथा भारत में सामान्यतः स्वीकार्य लेखीय सिद्धान्तों की अनुरूपता में यथार्थ एवं उचित स्थिति दर्शाते हैं –	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(अ) अर्थिक चिट्ठे के मामले में दिनांक 31.03.2012 को कम्पनी के क्रिया–कलापों की स्थिति।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(ब) उक्त तिथि को समाप्त हुए वर्ष लाभ एवं हानि विवरण के मामले में हानि की स्थिति एवं	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	(स) उसी तिथि को समाप्त हुए वर्ष के रोकड़ प्रवाह विवरण के मामले में रोकड़ प्रवाह की स्थिति।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

डा. यू.के. यादव
उप महाप्रबंधक (लेखा)

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष की वैधानिक सम्प्रेक्षक की रिपोर्ट के संलग्नक पर प्रबन्धन के उत्तर

वैधानिक सम्प्रेक्षकों की रिपोर्ट का संलग्नक			प्रबन्धन का उत्तर
(उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड के सदस्यों को दिनांक 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर इसी तिथि की हमारी रिपोर्ट में सन्दर्भित अनुलग्नक) ऐसे परीक्षण जैसाकि हमने लागू करना उचित समझा, मुख्यालय के सम्प्रेक्षण के दौरान प्रबन्धन द्वारा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरण तथा अन्य सम्प्रेक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित चार पारेषण क्षेत्रों की सम्प्रेक्षक रिपोर्ट के आधार पर हम निम्नवत सूचित करते हैं :–			
I	अ	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति सम्बधी पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया है।	स्थायी परिसम्पत्तियों के मात्रात्मक विवरण एवं स्थलीय स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए स्थायी परिसम्पत्तियों के रजिस्टर के रख–रखाव एवं अद्यतन रखने के सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
	ब	कम्पनी ने स्थायी परिसम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया है, अतः हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऐसी कोई सामग्री विसंगति थी अथवा नहीं।	भौतिक सत्यापन के सम्बंध में सम्बन्धित को आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं।
	स	कम्पनी ने वर्ष के दौरान स्थायी परिसम्पत्ति के किसी महत्वपूर्ण भाग का निस्तारण नहीं किया है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	द	पारेषण पश्चिम (मेरठ) की शाखा सम्प्रेक्षा रिपोर्ट के अनुसार प्रगतिशील पूँजीगत कार्यो का स्थायी परिसम्पत्तियों से हस्तान्तरण इकाइयों बिना समापन प्रमाण पत्र प्राप्त किये, कर दिया गया है।	इस सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्र को आवश्यक निर्देश निर्गत किये गये हैं।
II	अ	प्रबंधन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार वर्ष के दौरन प्रबन्धन द्वारा भण्डार सामग्री एवं कलपुर्जों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारे अभिमत में भण्डार की प्रकृति एवं अवस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए भौतिक सत्यापन की आवृत्ति उचित है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	ब	प्रबन्धन द्वारा अपनायी गयी भण्डार सामग्री के भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया उचित है तथा कम्पनी के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के सन्दर्भ में पर्याप्त है सिवाय पारेषण (पूर्व) इलाहाबाद के जहां इसे और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।	इस सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्र को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।

	स	हमारे अभिमत में पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) को छोड़कर कम्पनी भण्डार सामग्री के उचित अभिलेखों का रख–रखाव कर रही है। जब कभी भौतिक सत्यापन में महत्वपूर्ण विसंगतियां इंगित की गयी हैं, उन्हें लेखा पुस्तकों में उचित रूप से कार्यवाही की जाती है।	इस सम्बन्ध में सम्बंधित क्षेत्र को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
III	अ	जैसा कि प्रबन्धक द्वारा हमें स्पष्ट किया गया है कि कम्पनी ने किसी कम्पनी, फर्म या अन्य पक्षों जोकि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित है, को कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित स्वीकृत नहीं किये हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	ब	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (अ) के परिपेक्ष्य में आदेश के प्रस्तर सं. (III) (बी) (सी) एवं डी लागू नहीं हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	स	कम्पनी ने कम्पनी फर्म या अन्य पक्षों, जो कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर से आवरित हैं, से कोई ऋण सरंक्षित अथवा असंरक्षित नहीं लिया है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	द	उपर्युक्त प्रस्तर (III) (स) के परिप्रेक्ष्य में आदेश, 2003 के प्रस्तर के (III) (एफ) एवं (जी) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
IV		हमारे अभिमत में एवं हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण पद्धति है, जो कम्पनी के आकार तथा भण्डार सामग्री एवं स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय तथा सेवाओं की व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप है, सिवाय पारेषण पूर्व (इलाहाबाद) के। अग्रेतर हेतु आन्तरिक नियंत्रण में मुख्य कर्मियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान मेंनही आयी। उपर्युक्त की शर्ताधीन आन्तरिक नियन्त्रण में मुख्य कमियों के निवारण हेतु निरन्तर रही असफलता हमारे संज्ञान में नही आयी।	सम्बंधित क्षेत्रों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं।
V	अ	हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की जांच के अनुसार ऐसा कोई अनुबंध या व्यवस्था नही है जिनकी कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में प्रविष्टि करना आवश्यक हो।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	ब	उपर्युक्त (V) (अ) के परिप्रेक्ष्य में आदेश का प्रस्तर (V) (ब) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

VI		कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच तथा हमें दी गयी सूचना एवं स्पष्टीकरणों के आधार पर हमारे अभिमत में कम्पनी ने कोई सार्वजनिक ऋण अथवा जमा स्वीकार नही किया है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
VII		कम्पनी में चार्टर्ड एकाउन्टेट की फर्मों द्वारा इसकी क्षेत्रीय इकाइयों के लिए एक आन्तरिक सम्प्रेक्षा पद्धति लागू है। परन्तु वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए किसी भी क्षेत्र साथ ही साथ मुख्यालय का कोई आन्तरिक सम्प्रेक्षण नही किया गया।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
VIII		कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (डी) के अन्तर्गत निर्दिष्ट लागत लेखों का रख–रखाव कम्पनी द्वारा सम्प्रेक्षाधीन वर्ष में नही किया गया है।	अभिलेखों का रख–रखाव किया जाता है एवं लागत सम्प्रक्षकों द्वारा सम्प्रेक्षित है।
IX	अ	हमें दी गयी सूचनाओं एवं स्पष्टकरणों के अनुसार कम्पनी अविवादित वैधानिक देयों, यथा कर्मचारी राज्य बीमा आयकर, सेवाकर, सीमा शुल्क, उपकर तथा अन्य वैधानिक देयों को उपर्युक्त प्राधिकारियों के पास जमा करने में सामान्यतः नियमित है। परन्तु यह पाया गया कि फ्रिन्ज लाभ कर से सम्बंधित रु. 12708,00 की धनराशि तुलन पत्र की तिथि को छः माह से अधिक के लिए अविवादित है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
	ब	जैसाकि प्रबन्धन द्वारा हमें सूचित किया गया है कि वैट दायित्व से सम्बंधित बकायों धनराशि रु. 3.85 लाख पारेषण मध्य (लखनऊ) में तथा रु. 1.23 लाख पारेषण दक्षिण (आगरा) में विवाद के कारण जमा नही की गयी।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
X		कम्पनी 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए पंजीकृत है, इसकी संचित हानियाँ, इसके शुद्ध मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक है और इसकी चालू वित्तीय वर्ष में तथा इस वित्तीय वर्ष के तत्काल पूर्व वर्ष में कोई रोकड़ हानियाँ नही की गयी है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XI		हमें दी गई सूचना या स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने उ.प्र. सरकार के ऋण में मूलधन एवं ब्याज की धनराशि रु. 478.74 करोड़ के पुनर्भुगतान में असफल रही जिसका विवरण टिप्पणी–4 के अनुलग्नक में प्रकट किया गया है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XII		कम्पनी ने अंशपत्रों, ऋण पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के रेहन द्वारा प्रतिभूति के आधार पर कोई ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत नहीं किये हैं।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

XIII	कम्पनी, चिट फण्ड/निधि/पारस्पारिक लाभ निधि/समिति नहीं है, अतः आदेश का प्रस्तर (XIII) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XV	जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कम्पनी ने अन्य पक्षों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों के लिये कोई जमानत नहीं दी है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XVI	हम टिप्पणी करने में असमर्थ हैं कि क्या ऋण निधियों का उपयोग उन्ही उद्देश्यों के लिये किया गया, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे, क्योंकि लेखे इस प्रकार से नहीं रखे गये हैं, जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बन्ध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। परन्तु प्रबंधन द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया, जिनके लिए प्राप्त किये गये थे।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XVII	हम टिप्पणी करने में असमर्थ है कि अल्पावधि आधार पर प्राप्त की गई निधियों का उपयोग दीर्घावधि उद्देश्यों के लिए नही किया गया है क्योकि लेखे इस प्रकार से नही रखे गये है जिससे ऋण निधियों के अन्ततः प्रयोग के सम्बंध में तत्काल चिन्हीकरण हो सके। फिर भी प्रबंधक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार ऋण निधियों का प्रयोग उन्ही उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे।	अल्पावधि आधार पर प्राप्त निधियों का प्रयोग दीर्घकालीन उद्देश्य के लिए नही किया गया है।
XVIII	कम्पनी ने धारा 301 के अन्तर्गत आवरित पक्षों को किन्ही अंशों का अधिमान आवंटन नही किया है इसलिए आदेश का प्रस्तर (XVIII) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XIX	कम्पनी ने कोई ऋण पत्र निर्गत नहीं किये हैं इसलिए आदेश का प्रस्तर (XIX) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XX	कम्पनी ने सार्वजनिक निर्गम द्वारा कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, अतः आदेश का प्रस्तर (XX) लागू नहीं है।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।
XXI	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कोई धोखा–धड़ी कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के अन्तर्गत नहीं की गयी।	टिप्पणी की आवश्यकता नहीं।

डा. यू.के. यादव
उप महाप्रबंधक (लेखा)

ए.के. गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस.के. अग्रवाल
निदेशक (वित्त)

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानको के अनुरुप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) (बी) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रुप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित हैं। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चहूँगा जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।

तुलन पत्र

चालू दायित्व :

1. अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) रु. 2943.9 करोड़

उपर्युक्त में सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि रु. 68.80 करोड़ की पी.एफ. (भ.नि.रु. 61.55 करोड़ तथ अंशदायी भ.नि. रु. 7.25 करोड़) जिसका भुगतान भविष्य निधि ट्रस्ट को नही किया गया बिना भुगतान दायित्व के रूप मे सम्मिलित है। ट्रस्ट को बिना भुगतान ब्याज की धनराशि रु. 4.56 करोड़ के लिए वर्ष 2011-12 में प्रावधान नही किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य निधि ट्रस्ट साथ ही साथ कर्मचारी लागत के दायित्वों तथा वर्ष की हानि रु. 4.56 करोड़ से कम दर्शाये गये है।

लाभ एवं हानि का विवरण

परिचाजन से राजस्व (टिप्पणी–15)

2. मुक्त उपगम प्रभार : रु. 49.45 करोड :

महत्वपूर्ण लेखीय नीति सं. 5 (स) इंगित करता है कि मुक्त उपगम प्रभारों का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है। लेखीय नीति के विपरीत मार्च, 2012 से सम्बंधित दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को प्राप्त मुक्त उपगम प्रभार रु. 30.57 लाख का लेखांकन चालू वर्ष के खाते में किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मुक्त उपगम प्रभार तथा विविध देनदार रु. 30.57 लाख से अधिक दर्शाये गये है।

वित्तीय लागत (टिप्पणी–18)

3. गारन्टी प्रभार –रु. 2.77 करोड़

उपर्युक्त में पी.एफ.सी. के दो प्रकार के ऋणों (ऋण सं. 8503054 एवं 8503061) पर भुगतान किये जाने वाले ''गारन्टी शुल्क'' की धनराशि रु. 44.80 लाख सम्मिलित नही है। इसके फलस्वरूप इस सीमा तक ''गारन्टी प्रभार'' तथा राज्य सरकार के लिए दायित्व कम दर्शाये गये है।

4. सामान्य :

(i) समाधान के अन्तर :

अन्य चालू दायित्वों तथा अन्य चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न किये जाने के कारण रु. 5.58 करोड़ का अन्तर असमाधानित है।

(ii) धारा 383–अ का अनुपालन न करना :

कम्पनी अधिनियम की धारा 383 (अ) की आवश्यकता के अनुसार एवं कम्पनी (सचिव की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 1988 के नियम 2 के अनुसार सभी कम्पनियों के पास चुकता पूँजी रु. 2 करोड़ से कम नही है उन्हें पूर्णकालिक कम्पनी सचिव रखना होगा। कम्पनी ने यद्यपि कम्पनी अधिनियम की कथित धारा का अनुपालन नही किया तथा कम्पनी को अन्तिम खाते अंशकालिक कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित है।

वर्ष 2010-11 के कम्पनी के खातों पर सी.जी. की टिप्पणियों के बावजूद, कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गयी।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक
के वास्ते एवं उनकी ओर से

स्थान : लखनऊ
दिनांक :

महालेखाकार

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, के 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लेखों पर टिप्पणियाँ पर प्रबंधक के उत्तर

क्र.सं.	सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबन्धन के उत्तर
	कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित कार्य ढांचे की वित्तीय सूचना के अनुसार 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों को तैयार करने का उत्तर दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक सम्प्रेक्षक, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत उनकी व्यवसायिक संस्था दि इन्स्टीटयूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित सम्प्रेक्षण एवं विश्वास मानको के अनुरुप स्वतंत्र सम्प्रेक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है। उनके द्वारा अपने सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन दिनांक 31 अक्टूबर, 2013 के माध्यम से ऐसा किया गया इंगित है।	कोई टिप्पणी नहीं।
	मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत, 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वित्तीय विवरणों का पूरक सम्प्रेक्षण किया। यह पूरक सम्प्रेक्षण, स्वतंत्र रुप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों के तैयार किये गये कागजी ब्यौरों को ध्यान में न रख कर स्वतंत्र रूप से किया गया है तथा मुख्य रूप से वैधानिक सम्प्रेक्षकों एवं कम्पनी के कार्मिकों से की गयी पूछ–ताछ एवं कुछ लेखीय अभिलेखों की चुनिन्दा जांच तक ही सीमित हैं। मेरे पूरक सम्प्रेक्षण के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत, मैं निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को प्रमुखता से दर्शाना चाहूँगा जो कि मेरे संज्ञान में आये तथा मेरे विचार से वित्तीय विवरणों तथा सम्बन्धित सम्प्रेक्षा प्रतिवेदन को और अधिक समझने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है।	कोई टिप्पणी नहीं।
1.	**तुलन पत्र** **चालू दायित्व :** **अन्य चालू दायित्व (टिप्पणी–7) रु. 2943.9 करोड़** उपर्युक्त में सामान्य भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि के लिए	निगम में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन बीजको से सा.भ.नि. एवं अ. भ.नि. की मासिक अंशदान की कर्टाती की जाती है तथा ट्रस्ट को भेजी जाती है। कभी–कभी निधि का अभाव/घाटा/कमी के कारण भेजने में विलम्ब होता है और इस प्रकार बिना भेजी गयी अवशेष धनराशि पर ब्याज के लिए प्राविधान

	कर्मचारियों के अंशदान की धनराशि रु. 68.80 करोड़ की पी.एफ. (भ.नि. रु. 61.55 करोड़ तथ अंशदायी भ.नि. रु. 7.25 करोड़) जिसका भुगतान भविष्य निधि ट्रस्ट को नही किया गया बिना भुगतान दायित्व के रूप मे सम्मिलित है। ट्रस्ट को बिना भुगतान ब्याज की धनराशि रु. 4.56 करोड़ के लिए वर्ष 2011-12 में प्राविधान नही किया गया था जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य निधि ट्रस्ट साथ ही साथ कर्मचारी लागत के दायित्वों तथा वर्ष की हानि रु. 4.56 करोड़ से कम दर्शाये गये है।	लेखों में नही किया गया क्योंकि इस प्रकार की मांग ट्रस्ट द्वारा नही की गयी और इसके अतिरिक्त विशिष्ट धनराशि सुनिश्चित नही थी। ग्रा.वि. कारपोरेशन के ऋण पर धनराशि रु. 0.39 करोड़ के ब्याज का प्राविधान वर्ष 2011–12 में कर दिया गया है।
2.	**लाभ एवं हानि का विवरण** **परिचाजन से राजस्व (टिप्पणी–15)** **मुक्त उपगम प्रभार : रु. 49.45 करोड :** महत्वपूर्ण लेखीय नीति सं. 5 (स) इंगित करता है कि मुक्त उपगम प्रभारों का लेखांकन नकद आधार पर किया गया है। लेखीय नीति के विपरीत मार्च, 2012 से सम्बंधित दिनांक 16 अप्रैल, 2012 को प्राप्त मुक्त उपगम प्रभार रु. 30.57 लाख का लेखांकन चालू वर्ष के खाते में किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक मुक्त उपगम प्रभार तथा विविध देनदार रु. 30.57 लाख से अधिक दर्शाये गये है।	आवश्यक सुधार वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखों में की गयी है।
3.	**वित्तीय लागत (टिप्पणी–18)** **गारन्टी प्रभार –रु. 2.77 करोड़** उपर्युक्त में पी.एफ.सी. के दो प्रकार के ऋणों (ऋण सं. 8503054 एवं 8503061) पर भुगतान किये जाने वाले ''गारन्टी शुल्क'' की धनराशि रु. 44.80 लाख सम्मिलित नही है। इसके फलस्वरूप इस सीमा तक ''गारन्टी प्रभार'' तथा राज्य सरकार के लिए दायित्व कम दर्शाये गये है।	आवश्यक सुधार वर्ष 2012–13 के वार्षिक लेखों में की गयी है।
4.	**सामान्य :** **(i) समाधान के अन्तर :** अन्य चालू दायित्वों तथा अन्य चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर कम्पनी अवशेषों के समाधान न किये जाने के कारण रु. 5.58 करोड़ का अन्तर असमाधानित है।	अन्य चालू दात्यिवों तथा चालू परिसम्पत्तियों के अन्तर कम्पनी अवशेषों का समाधान एक निरन्तर प्रक्रिया है। अन्तरों के समाधान हेतु प्रयास किये जा रहे है।
	(ii) धारा 383–अ का अनुपालन न करना : कम्पनी अधिनियम की धारा 383(अ) की आवश्यकता के अनुसार	

	एवं कम्पनी (सचिव की नियुक्ति एवं योग्यता) नियमावली, 1988 के नियम 2 के अनुसार सभी कम्पनियों के पास चुकता पूँजी रु. 2 करोड़ से कम नही है उन्हें पूर्णकालिक कम्पनी सचिव रखना होगा। कम्पनी ने यद्यपि कम्पनी अधिनियम की कथित धारा का अनुपालन नही किया तथा कम्पनी को अन्तिम खाते अंशकालिक कम्पनी द्वारा हस्ताक्षरित है। वर्ष 2010-11 के कम्पनी के खातों पर सी.जी. की टिप्पणियों के बावजूद, कम्पनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्यवाही नही की गयी।	कम्पनी पूर्ण कालिक कम्पनी सचिव की नियुक्ति की प्रक्रियाधीन है।

डा॰ यू॰के॰ यादव
उपमहाप्रबंधक (लेखा)

ए॰के॰ गुप्ता
महाप्रबन्धक (लेखा)

एस॰के॰ अग्रवाल
निदेशक (वित्त)